सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

ई – पेपर

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

www.facebook.com/ shailshamachar

वर्ष 43 अंक – 14 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पंजीकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-2020 सोमवार 26 – 02 अप्रैल 2018 मूल्य पांच रूपए

दावों के बावजूद अवैधता और भ्रष्टाचार पर अभी तक नहीं शुरू हुई कोई कारवाई

- बीवरेज कारपोरेशन मामला अभी तकनहीं पहुंचा विजिलैन्स में
- अंडरग्राऊंड डस्टबिन जांच फाईल भी लटक गयी
- पीलिया के दोषियों के खिलाफ नहीं मिली मामला चलाने की अनुमति
- अवैध निर्माणों के दोषियों को राहत के लिये कानून में ही बदलाव का फैसला क्यों

शिमला/शैल। जयराम सरकार ने सत्ता संभालने के बाद धर्मशाला में हुई मन्त्रिमण्डल की पहली ही बैठक में बीवरेज कारपोरेशन को पहली अप्रैल से बन्द करने और इसमें हुए घपले की जांच करने का फैसला लिया था। क्योंकि बीवरेज कारपोरेशन में पचास करोड़ का घपला होने का आरोप भाजपा बतौर विपक्ष लगाती आयी है। धर्मशाला में लगे भूमिगत कूड़ादानों के मसले में भी भाजपा अपने आरोप पत्र में करोड़ो का घपला होने का आरोप लगा चुकी है। प्रदेश में हुए अवैध निर्माणों का कड़ा संज्ञान लेकर प्रदेश उच्च न्यायालय इनके खिलाफ कारवाई करने के निर्देश दे चुका है। जिन होटलो में अवैध निर्माण हुए हैं उनके खिलाफ कारवाई के पहले चरण में इनकी बिजली पानी काटने के आदेश हो चुके हैं। एनजीटी ने कसौली के प्रकरण में नियन्त्रण बोर्ड और टीसीपी के कुछ कर्मचारियो को चिन्हित करके उन्हें नामज़द करते हुए उनके खिलाफ कारवाई करने के लिये मुख्य सचिव को आदेश दिये थे। शिमला में जब पीलिया के कारण मौतें होने लगी थी तब उच्च न्यायालय के निर्देष्ण पर इस संद्धर्भ में संवद्ध ठेकेदार और अन्य जिम्मेदार कर्मचारियों/अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच किये जाने के आदेश हुए थे। यह जाचं पूरी होने के बाद कुछ अधिकारियों को इसके लिये जिम्मेदार पाया गया है। इनके खिलाफ मामला अदालत में चलना है। अदालत में चालान दायर करने के लिये संवद्ध कर्मचारियों/अधिकारियों के खिलाफ मामला दायर करने की सरकार से अनुमति चाहिये।

यह सारे मामलें हैं जिन पर बतौर विपक्ष भाजपा बहुत ही आक्रामक रहती थी लेकिन आज सत्ता में आने के बाद इन मामलों पर कोई कारवाई अभी तक आगे नही बढ़ पायी है। जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की लापरवाही से प्रदेश में पीलिया फैला और तीस मौतें तक हो गयी थी उन लोगों के खिलाफ सरकार ने अदालत में मामला चलाने की अनुमति तक नही दी है। यह विभाग में किस स्तर पर हुआ है इस पर कोई कुछ कहने को तैयार नही है और प्रदेश के मुख्य सचिव की जानकारी के बिना ही यह अनुमति रोक दी गयी है। वीबरेज कारपोरेशन में यदि भाजपा के अपने आरोप पत्र के मुताबिक घपला हुआ है तो निश्चित रूप से यह घपला कारपोरेशन के एमडी और चेयरमेन की जानकारी के बिना नही हो सकता। यह दोनों ही पद वरिष्ठ अधिकारियों के पास ही रहे हैं। क्योंकि आबकारी और कराधान विभाग का आयुक्त ही इसका निदेशक था और विभाग का सचिव ही इसका अध्यक्षथा। यह दोनों ही वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं और आज की सरकार में भी इनकी खास जगह है। चर्चा है कि इसलिये यह मामला आज तक विजिलैन्स को नही भेजा गया है। इसमें अब किसी आईएएस अधिकारी से ही जांच करवाने की योजना बनाई जा रही है जबकि मुख्यमन्त्री इस प्रकरण में एफआईआर दर्ज हो जाने का दावा कर चुके हैं। इसी तरह धर्मशाला के भूमिगत कूड़ादान प्रकरण में भी जांच की फाईल तैयार होने के बाद चर्चा है कि यह फाईल कहीं गुम हो गयी है। क्योंकि यह कूड़ादान खरीदने के लिये जब पहली कमेटी की बैठक हुई थी उसमें इस योजना को अस्वीकार कर दिया गया था। एक सदस्य ने इसका कड़ा विरोध किया था और बैठक से उठ कर चले गये थे। लेकिन बाद में उस अधिकारी को हटा दिया गया तथा इस बैठक की कारवाई को रिकार्ड पर ही नही लाया गया। इसके बावजूद यह पॉयलट प्रोग्राम कैसे तैयार और कार्यन्वित हो गया यह अपने में एक रहस्य है जो कि जांच से ही सामने आना है लेकिन अब यह फाईल गायब है।

अवैध निर्माणों की जद में आये होटलों को बचाने के लिये सरकार ने एक बार फिर टीसीपी एक्ट में संशोधन करने का फैसला कर लिया है। जबकि प्रदेश उच्च न्यायालय के संज्ञान में प्रदेशभर में 3,5000 अवैध भवन निर्माण आये हैं। उच्च न्यायालय ने इसका कड़ा संज्ञान लेते हुए यह कहा है कि **The common man feel cheated when he finds that those making illegal and unauthorized constructions are supported by the people entrusted with the duty of preparing and executing the developmental plans.**

लेकिन उच्च न्यायालय के कड़े संज्ञान के बाद सरकार इन अवैधतताओं के संरक्षण देने के लिये एक्ट में ही संशोधन करने पर आ गयी है। एनजीटी के आदेशों पर भी कोई कारवाई नही हो रही है क्योंकि उसमें नामज़द एक अधिकारी की सीधी पहुंच अब मुख्यमन्त्री तक हो गयी है ऐसे में इन आदेशों पर भी कारवाई करने से बचने

का रास्ता खोजने का प्रयास हो रहा है। यहां तक कि उच्च न्यायालय ने मुख्य सचिव से संदिग्ध निष्ठा वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची तलब की है। लेकिन सत्रों के मुताबिक एनजीटी के आदेश में जामज़द होने के बावजूद भी इनका नाम उस संभावित सूची में नही है।

अभी इस सरकार को आये केवल तीन माह का ही समय हुआ है लेकिन मन्त्री परिषद की पहली बैठक में किसी मामले पर जांच का फैसला लेने के बाद भी वह प्रकरण विजिलैन्स तक न पहुंचे और आईएएस अधिकारी से जांच करवाये जाने की बात चल पड़े तो इससे अन्दाजा लगाया जा सकता है कि इससे सरकार और मुख्यमन्त्री की अपनी छवि पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

कायाकल्प को 90 कनाल जमीन देने पर शान्ता का विवेकानन्द ट्रस्ट फिर विवादों में

शिमला/शैल। पालमपुर स्थित विवेकानन्द ट्रस्ट एक लम्बे अरसे से अपनी ही तरह के विवादों में उलझता आ रहा है। यह स्ट्रट कभी स्व. दौलत राम चौहान शिमला में स्थापित करना चाहते थे। लेकिन यह पालमपुर कैसे पहुंच गया इसको लेकर भी कई चर्चाएं हैं। इस ट्रस्ट को लेकर कई बार सदन में भी चर्चाएं उठ चुकी हैं। पहली बार इसको लेकर चर्चा इसी के ट्रस्टी रह सेवानिवृत वरिष्ठ आईएएस अधिकारी एस.के.आलोक ने एक लम्बा चौड़ा पर्चो छापकर शुरू की थी। यह सवाल उठाया गया था कि जो करोड़ो रूपया लोगों के सहयोग से मिला था उसका निवेश कहां हुआ है। इस ट्रस्ट को लेकर शान्ता कुमार, जीएस बाली में वाक्युद्ध शुरू हुआ था और बाली हमेशा षान्ता और भाजपा के निशाने पर रहते थे। शान्ता

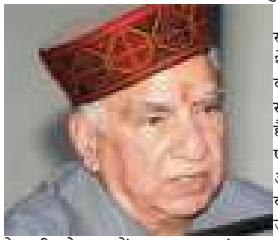

ने बाली को ट्रस्ट में आकर खुद जांच करने की चुनौती दे दी थी। लेकिन जब एक दिन बाली वहां अचानक पंहुच गये तो वह उसके बाद जो युद्ध विराम बाली, शान्ता और भाजपा में हुआ वह आज तक कायम है।

इस ट्रस्ट में कभी प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव भी ट्रस्टी हुआ करते थे लेकिन आज यह ट्रस्ट जेपी उद्योग के हाथों में चला गया है। ट्रस्ट को सरकार से लीज़ पर ज़मीन मिली हुई है। अब इस ट्रस्ट के ही प्रागंण में एक संस्थान कायाकल्प के नाम से आ गया है। चर्चा है कि इस कायाकल्प को विवेकानन्द ट्रस्ट ने ही 90 कनाल जमीन लीज़ पर दी है। विवेकानन्द ट्रस्ट के पास स्वयं लीज़ पर जमीन है और धारा 118 के तह अनुमति लेकर यह लीज़ मिली है। लेकिन अब जब विवेकानन्द ट्रस्ट ने 90 कनाल ज़मीन आगे कायाकल्प को दे दी है तो इसका अर्थ है कि उसके पास यह जमीन फालतू थी जिसका उसने कोई उपयोग नही किया था। धारा 118 के तहत अनुमति लेकर ली गयी जमीन को यदि लेने वाला तीन वर्ष के भीतर उपयोग में न लाये तो ऐसी ज़मीन सरकार को वापिस चली जाती है। लेकिन अब जमीन वापिस किये बिना ही उसे आगे कायाकल्प को देने से एक नया विवाद खड़ा हो गया है कि क्या सब सरकार की सहमति से हुआ है और क्या अन्य लोगों को भी ऐसी अनुमति मिलेगी। प्रदेश का राजस्व विभाग इस पर कुछ भी कहने से बच रहा है।

हिमालय में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और अपोलो रिमोट हेल्थकेयर सर्विसेज उपलब्ध करा रहा टेली एमरजेन्सी सेवाएं

- 28 फरवरी 2018 तक अपोलो टेली हेल्थ सर्विसेज के द्वारा 14000 फीट की उंचाई पर 10000 से अधिक टेली कन्सलटेशन किए जा चुके हैं।
- हिमाचल के काजा और कीलोंग क्षेत्रों में 750 एमरजेन्सी मामलों में मरीजों को स्थिर कर जान बचाई गई

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश राज्य के ज्यादातर हिस्सों जैसे काजा कीलोंग हर साल के चार से छह महीने मौसम की मार झेलते रहते है। आस–पास के क्षेत्रों से संपर्क पूरी तरह से टूट जाता है। सड़कें बंद हो जाती हैं जिसके कारण यहां तक सुविधाएं पहुंचाना कठिन हो जाता है। जिसके कारणवश हिमाचल प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने गुणवत्ता को एवं किफायती स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता महसूस की। क्षेत्र में आबादी कम होने के कारण समस्या और भी गम्भीर हो जाती है। दूर–दराज के इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता समझते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने टेली हेल्थ सर्विसेज प्रोग्राम की शुरूआत की।

अपोलो टेली हेल्थ सर्विसेज की टीम ने इस योजना को लागू करने के लिए राज्य, जिला एवं ग्रामीण स्तर पर सभी मुख्य लाभान्वित होने वाले लोगों से बातचीत की। प्रशासनिक अधिकारियों, डॉक्टरों, जिला स्वास्थ्य अधिकारियों और मरीजों के साथ बातचीत कर उनकी राय ली गई। उन्होंने पाया कि लोगों को प्राथमिक चिकित्सा सुविधाओं के लिए 20–50 किलोमीटर तथा विशेष चिकित्सा सुविधाओं के लिए 250 किलोमीटर तक की यात्रा करनी पड़ती है। सीओपीडी, ट्यूबरकुलोसिस/टीबी, अस्थमा, न्युमोनिया, ऑस्टियो अर्थराइटिस, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, पीलिया जैसी बीमारियां इन क्षेत्रों में आमतौर पर पाई जाती है। अपोलो टेली हेल्थ सर्विसेज की टीम को सार्वजनिक निजी भागीदारी (पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप) में टेली–एमरजेन्सी एवं टेली–स्पेशलटी और सुपर–स्पेशलटी सेवाएं उपलब्ध करने के लिए कहा गया। शुरूआत में इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए काजा और कीलोंग स्थित सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं को चुना गया।

मरीजों को समय पर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराना इस नए टेलीमेडिसीन प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है। एमरजेन्सी की स्थिति में मरीज को विशेष सुविधा वाले हॉस्पीटल तक पहुंचने से पहले उचित प्राथमिक चिकित्सा दी जा सके।

मिस संगीता रेड्डी, जे एम डी अपोलो हॉस्पिटल्स ग्रुप के अनुसार, ''मानवजाति की चाहे व किसी तबके का हो गरीब–अमीर की सेवा करना एवं लोगों की जिन्दगियों को बचाना और उनके प्रति अपनेपन का भाव रखना हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है।'' इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हम ऐसा ही करने का प्रयास कर रहे हैं।

अपोलो टेली हेल्थ को (टेंडर जीतने के बाद) लाहौल और स्पीति (3600 मीटर की उंचाई और 34000 की आबादी वाले क्षेत्र) के दूर–दराज के जिलों में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने का अनुबंध दिया गया। इस प्रोजेक्ट के तहत अपोलो टेली हेल्थ सर्विसेज आधुनिक तकनीकों के माध्यम से स्थानीय जनता को जानकारी देकर उन्हें टेली कन्सलटेशन प्रदान की जा रही है। सभी स्पेशलटीज और सुपर स्पेशलटीज में काजा और कीलोंग में 10000 से अधिक कन्सलटेशन दिए गए। 750 एमरजेन्सी स्थितियों में मरीज को स्थिर कर उनका जीवन बचाया गया।

टेली–सरवाईकल कैंसर स्क्रीनिंग के माध्यम से महिलाओं की स्क्रीनिंग की जा रही है। अब तक टेली लेबोरेटरी सेवाओं के माध्यम से 6500 से अधिक लैब टेस्ट किए गए।

अपनी तरह की यह अनूठी पहल इस बात का उदाहरण है कि सार्वजनिक निजी भागीदारी का सही इस्तेमाल स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। विक्रम थापलू, सी ई ओ, अपोलो रिमोट हेल्थकेयर सर्विसेज के अनुसार ''वे हर व्यक्ति को लागत प्रभावी, सुविधाजनक और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं।''

परियोजना के विस्तृत विश्लेषण से इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि यह प्रोजेक्ट लागत प्रभावी है, इसके अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं और इसे दूर–दराज के अन्य इलाकों में भी लागू किया जा सकता है, जहां प्राथमिक उपचार की उपलब्धता संभव नहीं है। परियोजना और इसके प्रभावों का विवरण एक विश्वस्तरीय पत्रिका Tele-medicine and e-Health: The official journal of the American Tele Medicine Association में प्रकाशित किया गया है।

इस तरह की योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार ने बजट में अलग से प्रावधान किया है।

क्रिकेट एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड इन इंडिया के अध्यक्ष जी.के महंतेश की अनुराग से मुलाकात

शिमला/शैल। अनुराग ठाकुर ने बीसीसीआई अध्यक्ष पद पर रहते हुए दृष्टिविहीन क्रिकेट को बढ़ावा देने की कोशिश की थी। उन्होंने पिछली बार भारत में हुए विश्वकप में, उन्हें क्रिकेट स्टेडियम दिलाने में मदद की थी।

इस मुलाकात पर बोलते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा भारत की दृष्टिविहीन क्रिकेट टीम लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। हाल ही में उन्होंने लगातार दूसरी बार दृष्टिविहीन क्रिकेट का विश्व कप खिताब अपने नाम किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जी.के महंतेश के मार्गदर्शन में भारतीय टीम अपना सुनहरा सफर ऐसे ही जारी रखेगी। इस खेल के प्रति खिलाड़ियों और पूरे स्टाफ की प्रतिबद्धता सराहनीय है।

आगे बोलते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा बीसीसीआई अध्यक्ष पद रहते हुए मैंने पुरुष क्रिकेट के साथ साथ महिला क्रिकेट,अंडर 19,भारत। टीम के ज्यादा से ज्यादा विदेशी दौरों और बेहतर बुनियादी सुविधायें सुनिश्चित की। जिसके परिणाम स्वरूप क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में इन सारी टीमों ने अच्छा प्रदर्शन कर दुनिया का ध्यान भारत की तरफ आकर्षित करवाया। मैंने अपने कार्यकाल में ब्लांइड क्रिकेट के सुधार के लिए 1 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए थे जिसमें से बीसीसीआई ने इन्हें 25 लाख रुपए उपलब्ध भी करवा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आगे भी बीसीसीआई इन्हें बाकी के पैसे आवंटित कर इनका सहयोग जारी रखेगा।

नौणी विश्वविद्यालय को आईसीएआर ने जारी किया 2.15 करोड़ का विकास अनुदान

शिमला/शैल। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर) ने डॉ. वाईएस परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी को 215.43 लाख रुपये (2.15 करोड़ रुपये) का विकास अनुदान जारी किया है।

विश्वविद्यालय में शैक्षणिक और अनुसंधान सुविधाओं को मजबूत करने के लिए यह अनुदान मंजूर किया गया है। यह विकास अनुदान आईसीएआर के कृषि शिक्षा डिवीजन योजना के 'कृषि विश्वविद्यालयों के विकास' के उप–घटक के अंतर्गत जारी की गई है। अतिरिक्त निधि के लिए आईसीएआर का धन्यवाद करते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. एच सी शर्मा ने कहा कि इस फंड की एक बड़ी राशि का उपयोग हॉस्टल, प्रयोगशालाओं, कक्षाओं के नवीनीकरण और आधुनिकीकरण के लिए उपयोग किया जाएगा और विश्वविद्यालय के परिसर में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने पर खर्च होगा।

अनुदान में 12 लाख रूपये की राशि परीक्षा और 3.16 लाख रुपए अतिथि और अड़जंक्ट संकाय के लिए निर्धारित की गई है।

डॉ. शर्मा ने बताया कि विश्वविद्यालय परिसर में अनुसंधान गतिविधियों को समर्थन देने के लिए विभिन्न वित्तपोषण एजेंसियों को अनुसंधान प्रस्ताव/ परियोजनाओं भेजी गई है।

2017–18 शैक्षणिक वर्ष में, विश्वविद्यालय ने विभिन्न वित्तपोषण एजेंसियों को फंडिंग के लिए 146 करोड़ रुपये से अधिक की 105 परियोजनाओं भेजी है। इस अवधि में विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक 5.04 करोड़ रुपये की लगभग 19 परियोजनाओं को प्राप्त करने में सफल रहे हैं और कई अन्य प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हैं। यह परियोजनाएँ जैव प्रौद्योगिकी विभाग (भारत सरकार), आईसीएआर, एससीएसटीई (हि.प्र.), हिमाचल प्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग,हिमाचल राज्य जैव विविधता बोर्ड आदि संस्थाओं से अनुमोदित हुई है।

मुख्यमंत्री राहत कोष में दाड़लाघाट ट्रक ऑप्रेटर यूनियन तथा हि.प्र. अध्यापक संघ द्वारा अंशदान

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर को सोलन जिला ट्रक ऑप्रेटर यूनियन दाड़लाघाट ने 5 लाख रुपये तथा हिमाचल प्रदेश अध्यापक संघ के सदस्यों ने राज्य समन्वयक कमल राणा के नेतृत्व में 7,77,777 रुपये का चेक मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए भेंट किया।

जय राम ठाकुर ने दोनों संघों के सदस्यों का इस पुनित कार्यो के लिए अंशदान करने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह राशि गरीब व जरूरतमंदों लोगों को दुख के समय में सहायता प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगी।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. राजीव सैजल, पूर्व विधायक गोविन्द राम, अखिल भारतीय ट्रक यूनियन के महासचिव नरेश शर्मा, सोलन जिला ट्रक ऑप्रेटर यूनियन के अध्यक्ष रतन मिश्रा, सचिव रतन सिंह पॉल और अन्य इस अवसर पर उपस्थित थे।

HIMACHAL PRADESH
PUBLIC WORKS DEPARTMENT
NOTICE INVITING TENDER

Sealed item rate tenders on form 6&8 are hereby invited by the Executive Engineer, Palampur Division, HPPWD Palampur on behalf of the Governor of H.P for the following work from the approved and eligible contractors enlisted in HP.PWD, (B&R) whose registration stood renewed as per revised rules and also registered under the H.P General Sales Tax Act 1968 so as to reach in his office on or before on 09.05.2018 up to 11.00 AM. And the same shall be opened on the same day at **11.30 A.M.** in the presence of intending contractors or their authorized representatives. The tender documents can be had from his office against cash payment (Non-refundable) on **08.05.2018 up to 4.00 P.M** and the application for issue of tender form shall be received on **07.05.2018 up to 12.00 noon.** The earnest money in the shape of NSC/FDR/saving account of the Post office/Bank in H.P duly pledged in favour of the XEN must accompany with each tender. Conditional/ incomplete tenders & tender without earnest money will be summarily rejected. The XEN reserves the right to accept or reject any or all tenders or drop the proposal of tenders without assigning any reasons.

Job No. Name of Work	Estimated Cost(In Rs.)	Earnest Money	Time Limit	Cost of Tender form
1. C/O Toilet Block near Garh Mata Temple. (SW:- S/R Masonry, Plastering, RCC work, tile flooring, painting, distempering and sanitary installation etc.)	2,38,089/-	4800/-	Three Months	350/-
2. Site Devlopment of Aurvadic Dispensary at Kuluna Chowki. (SW:- C/O R/Wall at Rd 0/00 to 0/026 HT 3.04 R/S and cutting in earth work at RD 0/00 to 0/26).	2,73,000/-	5500/-	Three Months	350/-
3. C/O Science block Add. Accomodation building at GSS School at Naura, Distt. Kangra (HP). (SW:- Balance work of building such as putty, paint collapasible door, cup board, Kota stone, sock pit manhole and filling etc).	6,00,000/-	12000/-	Three Months	350/-
4. C/O Aurvedic Health Centre (Dispensary) at Rajhoon. (SW:- Site development, C/O R/wall Rd 0/00 to 0/025).	2,19,180/-	4400/-	Two Months	350/-

Terms & Conditions:-
Following documents should accompany the application for tenders.
1. Sale tax No. with latest Sales tax clearance certificate.
2. Valid copy of Registration
3. Machinery will be of the contractor where required.
4. Certificate regarding possession of machinery.
5. Telegraphic/Fax tenders are not acceptable.
6. The tender documents can be received by registered/ Insured post which should be received in this office on or before the date of opening of tender by 11.00 A.M positively.
7. Contractor should have successfully executed two works of similar nature of 1/3 amount of estimated cost or similar single work of amount equal to estimated cost during the last preceding three years
8. The Contractor will have to submit affidavit along with application for issue of tender that he has not more than two works in hand . Next tender will be issued only after completion of previous works in hand.

Adv. No.-4466/17-18 **HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK**

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक – बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक – जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार – ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
रजनीश शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना
सीता

प्रभावी जल संरक्षण के लिए सामुदायिक सहभागिता आवश्यक: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। पारम्परिक जल स्त्रोतों के कायाकल्प तथा जल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये सामुदायिक सहभागिता प्रभावी जल संरक्षण में मददगार सिद्ध हो सकती है। यह बात मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा द्वारा होटल पीटरहॉफ में जल संरक्षण पर आयोजित कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए कही।

जय राम ठाकुर ने कहा कि जल संकट की समस्या से निपटने के लिए एक विशाल अभियान शुरू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन तथा ग्लोबल वार्मिंग ने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया है। जल संरक्षण तथा जल प्रबन्धन समय की आवश्यकता है और इस दिशा में सरकार, स्थानीय निकायों तथा आम जनमानस के सामूहिक प्रयासों को जुटाया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि राज्य में जल साक्षरता के लिए विशेष अभियान आरम्भ किया जाएगा ताकि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर जनमानस को जागरुक किया जा सके। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण के लिए पारम्परिक तरीकों को अपनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भावी पीढ़ियों के लिए जल बचाना तथा जल स्त्रोतों को पुन: जीवित करना प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेवारी है। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण के उपायों को प्रभावी बनाने के पंचायती राज स्तर पर कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा ताकि चुने हुए प्रतिनिधियों को शामिल किया जा सके। उन्होंने कहा कि पुराने जल स्त्रोतों के पुनर्जीवन तथा वर्षा जल संरक्षण के लिए नए ढ़ांचों का निर्माण करने के प्रयास किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने विधायकों को उनके संबंधित क्षेत्रों में जल संरक्षण अभियान आरम्भ करने का आग्रह किया ताकि हिमाचल प्रदेश इस प्रयास में अग्रणी बने। उन्होंने न केवल राजस्थान बल्कि देशभर में जल संरक्षण को एक मिशन बनाने के लिए राजेन्द्र सिंह के प्रयासों

की सराहना की। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण तथा पर्यावरण संरक्षण में वनीकरण भी अहम् भूमिका निभा सकता है।

मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. राजीव बिन्दल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश देश के चुनिन्दा राज्यों में है जहां काफी अधिक वर्षा होती है। अधिकांश पानी नदियों में बहकर उपयोग न होने के कारण बर्बाद हो जाता है। उन्होंने कहा कि यह आवश्यक है कि जल की प्रत्येक बूंद का पूर्ण उपयोग हो। उन्होंने कहा कि इससे न केवल जल का संरक्षण होगा बल्कि नदियों और नालों को बहते रहने के लिए इनके पुनर्जीवन में मदद मिलेगी।

कांग्रेस विधायक दल के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों की भौगोलिक स्थितियों के मध्यनजर जल संरक्षण के लिए प्रत्येक क्षेत्र को अलग से कार्यनीति की आवश्यकता है। उन्होंने इस कार्यशाला के आयोजन के लिए राज्य विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. राजीव बिन्दल का धन्यवाद किया।

मैगसैसे पुरस्कार विजेता 'वाटर मेन आफ इंडिया' डॉ. राजेन्द्र सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश भाग्यशाली है जहां वर्ष के दौरान 180 सेंटीमीटर वर्षा होती है। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद भूमि जल तेज रफ्तार के घट रहा है। उन्होंने कहा कि बारहमासी जलाश्यों का लगभग 70 प्रतिशत जल सूख चुका है। उन्होंने भूमि जल संरक्षण की दिशा में कार्य करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत की परम्परागत जल संरक्षण प्रणाली विश्वभर में जानी जाती है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग विवेकपूर्ण ढ़ंग से करना समय की आवश्यक है।

महाराष्ट्र 'जल बिरादरी' के अध्यक्ष नरेन्द्र चुग ने इस अवसर पर प्रस्तुती दी।

शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज, कृषि तथा जनजातीय विकास मंत्री डॉ. राम लाल मारकण्डा और राज्य सरकार के अन्य अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

अन्नदाता के हितों की रक्षा,मोदी सरकार की प्राथमिकता: अनुराग

शिमला/शैल। अनुराग ठाकुर ने कहा- देश के किसान इस देश की ताकत हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अन्नदाता के हाथों को मजबूती देने और उनकी आय दोगुनी करने के लिए हर दिन नई योजनाएँ लेकर आ रहे हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने 25 नए कृषि विज्ञान केंद्र का शुभारंभ किया और इसके साथ ही देश में कृषि विज्ञान केंद्रों की संख्या बढ़कर 700 हो गई है। इन केंद्रों से किसानों को नई तकनीक और नई जानकारी सहज ही उपलब्ध होगी। सोलर फार्मिंग किसानों की अतिरिक्त आय का एक और माध्यम है। ये खेती की वो तकनीक है जो ना सिर्फ सिंचाई जरूरतों को पूरा कर रही है बल्कि पर्यावरण की भी मदद कर रही है। पिछले तीन सालों में सरकार ने लगभग पौने 3 लाख सोलर पंपों को किसानों तक पहुंचाया है और इसके लिए लगभग ढ़ाई हजार करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है।

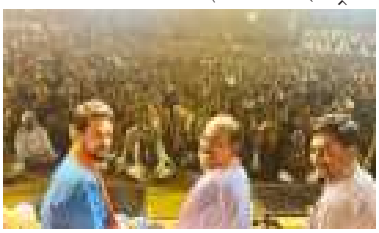

आगे बोलते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा सरकार इस बात का ध्यान रख रही है कि आय बढ़ाने के लिए किसान जो भी नए विकल्प अपना रहे हैं, उसके लिए उन्हें पैसे की कमी न आए। अब तो सरकार किसानों को मशीन खरीदने के लिए ज्यादा आर्थिक सहायता भी दे रही है। इस वर्ष के बजट में सरकार ने पशुपालन, मछलीपालन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप फंड में ने 10 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। सरकार ने राष्ट्रीय बाँस मिशन के लिए भी लगभग 1300 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं।

अनुराग ठाकुर ने कहा केंद्र की भाजपा सरकार किसानों की बेहतरी के लिए कितनी प्रयासरत है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यूपीए सरकार के वर्ष 2009 से 2014 के कार्यकाल में कृषि क्षेत्र में 1,21082 करोड़ का बजटीय प्रावधान था, वहीं वर्तमान सरकार के 5 वर्षों (2014-2019) के दौरान तक कृषि क्षेत्र को कुल 2,11,694 करोड़ रुपये आवंटित किए गये हैं जो कि पिछली सरकार से 74.5% प्रतिशत अधिक है।

आगे बोलते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा भारत सरकार किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने और ग्रामीण इलाकों को विकसित करने के लक्ष्य के मद्देनजर गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 14.34 लाख करोड़ रुपये और खरीफ की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को 1. 5 गुना करने का फैसला लिया है। दो हजार करोड़ रुपये की लागत से कृषि बाजार, कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए 1400 करोड़ रुपये और 500 करोड़ रुपये की लागत से ऑपरेशन ग्रीन की शुरुआत होने से किसान भाइयों की खुशहाली में वृद्धि होगी। इसके अलावा 42 मेगा फूड पार्क बनाए जाने का ऐलान और गांवों में 22 हजार हाटों को कृषि बाजार में तब्दील करने के साथ-साथ ही लघु और सीमांत किसानों के लिए ग्रामीण कृषि बाजारों का विकास करने से किसानों की तरक्की के नए दरवाजे खुलेंगे।

हिमुडा ने स्वीकृत किया 8 प्रतिशत अंतरिम राहत

शिमला/शैल। हिमुडा निदेशकमंडल की आयोजित बैठक में हिमुडा के कर्मचारियों को 1 जुलाई 2017 से तीन प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ता और 1 जनवरी 2016 से

8 प्रतिशत अंतरिम राहत प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

शहरी विकास, आवास एवं नगर नियोजन मंत्री सरवीण चौधरी, जो हिमुडा की अध्यक्ष भी हैं, ने बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य में तेजी से हो रहे शहरीकरण को ध्यान में रखते हुए हिमुडा को नियोजित आवासीय कालोनियां निर्मित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों को बेहतर व कम दरों पर आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाना हिमुडा का प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए।

मंत्री ने कहा की की बैठक में निदेशकमंडल ने कांगड़ा जिला की धर्मशाला तहसील के अंतर्गत नगरोटा में 644.00 कनाल भूमि का अधिग्रहण करने के लिए आंध्रा बैंक से सरकारी गारंटर पर 37.30 करोड़ रुपये का ऋण लेने को मंजूरी प्रदान की। बैठक में हमीरपुर आवासीय कॉलोनी में पार्किंग स्थल विकसित करने का भी निर्णय लिया गया।

उन्होंने कहा कि शुभखेड़ा (पांवटा साहिब) में तृतीय क्षेणी के 36 फ्लैट विकसित करने के साथ-साथ परवाणु के सैक्टर-4 व सैक्टर-5 में पांच-पांच बूथ और सैक्टर-3 में 56 फ्लैट निर्मित करने का फैसला लिया गया है।

सरवीण चौधरी ने कहा कि पट्टे पर धनराशि के एकमुश्त भुगतान के लिए एक योजना स्वीकृत की गई है। इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि अगर लीज की राशि को एक साथ जमा करवाया जाता है तो 25 वर्षा की छूट प्रदान की जाएगी। शिमला के विकासनगर में पेट्रोल पम्प के पास व्यावसायिक परिसर के निर्माण को भी मंजूरी प्रदान की गई है जिसमें विभिन्न सरकारी विभागों को कार्यालय के लिए स्थान दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त कुछ व्यावसायिक संपत्ति को भी प्रस्तावित किया गया है। निदेशकमंडल ने सेवानिवृत्त अकांउटेंट में से छह माह की अवधि के लिए डिविजनल अकाउंटेंट का पद भरने का भी निर्णय लिया है।

राज्य के छह जिलों में कार्यान्वित होगी 800 करोड़ की परियोजना

शिमला/शैल। वन परिवहन युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि जापान सरकार के प्रतिनिधि एवं जापान में भारत के राजदूत के मध्य हि.प्र. आजीविका सुधार एवं वन पारिस्थितिकी प्रबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

उन्होंने कहा कि 800 करोड़ रुपये की इस परियोजना से हिमाचल प्रदेश के छह जिलों बिलासपुर, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल-स्पीति, मंडी तथा शिमला में अगले 10 वर्षों तक कार्य किये जाएंगे। परियोजना से वनों की स्थिति सुधारने के साथ प्राकृतिक संसाधनों के सुधार व स्थानीय लोगों की आजीविका को मजबूत करने में सहायता मिलेगी।

मंत्री ने कहा कि कुल 800 करोड़ रुपये में से 600 करोड़ रुपये की राशि ऋण के रूप में दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के अंतर्गत कार्य करने पर न केवल प्राकृतिक संसाधनों में सुधार होगा, बल्कि स्थानीय लोगों को प्राकृतिक संसाधनों से आजीविका बढ़ाने के अवसर भी मिलेंगे।

नर्सिंग कालेज की प्रिंसिपल व एसोसिएट प्रोफेसर का निलंबन रद्द

शिमला/शैल। प्रदेश गवर्नमेंट नर्सिंग कालेज गेजेटिड व नान गेजेटिड टीचर्ज एसोसिएशन व टीएनएआई आईजीएमसी नर्सिंग और अराजपत्रित कर्मचारी संघ ने जताई खुशी

प्रदेश गवर्नमेंट नर्सिंग कालेज गेजेटिड व नान गेजेटिड टीचर्ज एसोसिएशन व टीएनएआई आईजीएमसी नर्सिंग और अराजपत्रित कर्मचारी संघ ने नर्सिंग कालेज की प्रिंसिपल व एसोसिएट प्रोफेसर का निलबन जांच के बाद रदद करने पर स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार का आभार जताया है। प्रधानाचार्य और एसोसिएट प्रोफेसर ने कालेज में फिर से ज्वाइन कर लिया है। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट नर्सिंग कालेज गेजेटिड व नान गेजेटिड टीचर्ज एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्ष संतोष मांटा व महासचिव किरण धर्मा, टीएनएआई की प्रदेशाध्यक्ष ज्योति वालिया, आईजीएमसी नर्सिंग एसोसिएशन की महासचिव रीटा और आईजीएमसी अराजपत्रित कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुखदेव वर्मा और महासचिव रजनीश पूनिया ने जहां स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार का नर्सिंग कालेज की प्रधानाचार्य और एसोसिएट प्रोफेसर का निलंबन रदद करने पर आभार जताया वहीं प्रदेश के शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज व चौपाल के विधायक बलवीर वर्मा का भी मामले की पैरवी करने के लिए आभार जताया।

उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट नर्सिंग कालेज गेजेटिड व नान गेजेटिड टीचर्ज एसोसिएशन व एच पी टीएनएआई ने प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार से भेंट करकें आईजीएमसी नर्सिंग कालेज में प्रिंसिपल व एसोसिएट प्रोफेसर का निलबन रदद करने और मामले में निष्पक्ष जाच करने की मांग की थी। संगठन के पदाधिकारियों ने स्वास्थ्य मंत्री को नर्सिंग कालेज में चल रही गतिविधियों के बारे में बताया था और कहा था कि झूठी शिकायतों पर अध्यापकों को निलंबित किया जा रहा है जो सही नहीं है। संघ ने स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार से विश्व महिला दिवस के अवसर पर निलंबित की गई कालेज की दो महिलाओं प्रिंसिपल और अन्य एसोसिएट प्रोफेसर का निलंबन तुरंत रदद करने और विभाग के पास आई शिकायतों की उच्चस्तरीय जांच की मांग की थी। नर्सिंग कालेज की पहली प्रिंसिपल 31 मार्च को रिटायर हो रही है अब निलंबन रदद होने के बाद वह बतौर प्रधानाचार्य सेवानिवृत हो सकेंगी।

प्रेस सचिव रुप शर्मा ने बताया कि एसोसिएशन की मुख्य सलाहकार कमला तनवर, इंदिरा धीमान, नीना लालटा सहित अन्य ने भी सरकार का आभार जताया है।

दण्डनीति के प्रभावी न होने से मंत्रीगण भी बेलगाम होकर अप्रभावी हो जाते है। .....चाणक्य

सम्पादकीय

चुनाव आयोग ही नहीं पूरी नौकरशाही पर बड़ा सवाल है अदालत का फैसला

केन्द्र की मोदी सरकार और केन्द्र शासित दिल्ली प्रदेश की केजरीवाल सरकार में राजनीतिक टकराव इनके गठन से ही शुरू हो गया था यह हर आदमी जानता है। क्योंकि मोदी के नेतृत्व में भाजपा को 2014 के लोकसभा चुनावों में अप्रत्याशित प्रचण्ड बहुमत मिला था बल्कि यह कहना ज्यादा संगत होगा कि इस चुनाव के बाद ही सही मायनों में भाजपा एक राष्ट्रीय पार्टी बनी थी। लेकिन केन्द्र के इन चुनावों के बाद दिल्ली प्रदेश की विधानसभा के लिये चुनाव हुए और यहां पर मोदी की नाक के नीचे से आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल के नेतृत्व मे सत्ता पर कब्जा कर लिया बल्कि भाजपा को शर्मनाक हार भी दी। जबकि दिल्ली को भाजपा का गढ़ माना जाता था। दिल्ली की यह हार भाजपा के माथे पर एक बहुत बड़ा राजनीतिक कलंक है। इस हार से असहज़ भी मोदी सरकार ने केजरीवाल सरकार को फेल करने और उसे गिराने तक का हर संभव प्रयास किया है यह भी देश के सामने है। राजनीति में सत्ता प्राप्ति ही एक मात्र लक्ष्य रहता है और इसके लिये साधनों की शुचिता कोई मायने नही रखती है। यह ईवीएम मशीनों और कैम्ब्रिज एनालिटिका पर उठे सवालों से पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है। लेकिन सत्ता की इस भूख के लिये जब संवैधानिक स्वायतता प्राप्त संस्थानों को साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाने लग पड़े तो निश्चित रूप से यह मानना पड़ेगा कि सही में अब लोकतन्त्र के लिय एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है।

चुनाव आयोग एक संवैधानिक स्वायत संस्था है। इसकी इसी गरिमा और महता के कारण इसमें देश के वरिष्ठत्तम नौकरशाहों को बतौर चुनाव आयुक्त नियुक्त किया जाता है। चुनाव आयुक्तों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीशों की समकक्षता हासिल है और हटाने के लिये वैसी ही प्रक्रिया अपनाई जाती है। राष्ट्रपति भी चुनाव आयोग की अन्तिम राय को मानने के लिये बाध्य है। राष्ट्रपति चुनाव आयोग की किसी राय पर स्पष्टीकरण तो मांग सकता है लेकिन चुनाव से जुड़े मामलों में राष्ट्रपति चुनाव आयोग की राय को खारिज नही कर सकता है। इस स्थिति से यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारे लोकतन्त्र में चुनाव आयोग का स्थान क्या है। इसी गरिमा की यह मांग भी है कि चुनाव आयोग हर स्थिति में अपनी निष्पक्षता और विश्वसनीयता बनाये रखे। लेकिन आम आदमी पार्टी के बीस विधायकों को लेकर जिस तरह से चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति को अपनी राय भेजी है और उस राय को दिल्ली उच्च न्यायालय ने जिस तरह से Bad in law for Failure to comply with the principles of natural justice करार दिया है। उससे न केवल चुनाव आयोग की ही विश्वसनीयता सवालों में आ गयी है। वरन् इससे पूरे देश की नौकरशाही पर गंभीर सवाल खड़े हो जाते हैं। विश्वसनीयता पर लगे यह दाग लोकतन्त्र के लिये आने वाले समय में कितना बड़ा संकट बन जायेंगे इसका अन्दाजा लगाना आसान नही है। क्योंकि इससे यह संदेश गया है कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक स्वायत संस्थान न होकर सरकार का एक contractural कार्यालय बनकर रह गया है।

स्मरणीय है कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने 13 मार्च 2015 को अपने 21 विधायकों को संसदीय सचिव नियुक्त किया था। इस नियुक्ति को राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा ने दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी। राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा का आरोप था कि नियुक्ति को उपराज्यपाल की स्वीकृति हासिल नही है क्योंकि केन्द्र शासित प्रदेश होने के नाते उपराज्यपाल की स्वीकृति अनिवार्य है। राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा की याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने 8 सितम्बर 2016 को फैसला देते हुए इन नियुक्तियों को रद्द कर दिया। इसी बीच 22.6.15 को एक वकील प्रशांत पटेल ने राष्ट्रपति को इन विधायकों के खिलाफ शिकायत भेज दी कि यह लोग लाभ का पद भोग रहे हैं इसलिये विधायक नही रह सकते। इस शिकायत को 22.7.15 को राष्ट्रपति कार्यालय के अवर सचिव ने इसे चुनाव चुनाव आयोग के ध्यानार्थ भेज दिया लेकिन 24.08.2015 को चुनाव आयोग के अवर सचिव ने इसे वापिस भेज दिया कि यह उचित संदर्भ पत्र नही है। इसके बाद राष्ट्रपति सचिवालय के निदेशक ने पुन: आयोग को पत्र भेजा लेकिन इस पत्र को भी वापिस भेज दिया। इस पर तीसरी बार राष्ट्रपति सचिवालय के सचिव ने चुनाव आयोग को पत्र भेजा। इस पत्र पर चुनाव आयोग ने विधायकों को नोटिस भेजा। इस नोटिस के जवाब में फैसले का इन्तज़ार किया जाये। यह फैसला 8 सितम्बर 2016 को आया और उसके बाद अगली कारवाई शुरू हुई। जिसमें उत्तर और एतराज आदि चले। इसी बीच चुनाव आयुक्त ओपी रावत कुछ विधायकों ने पक्षपात का आरोप लगा दिया। इस आरोप से आहत होकर 19.4.17 को रावत ने अपने को इस मामले से अलग कर लिया। इसके बाद 23.6.17 को आयोग ने विधायकों के एतराजों को अस्वीकार करते हुए यह आदेश किया कि मामले की सुनवाई के लिये अगली तारीख तय की जायेगी और उसकी सूचना इन विधायकों को दे दी जायेगी लेकिन 23.6.17 के बाद मामले की सुनवाई के लिये न कोई तारीख लगी और न ही उसकी कोई सूचना इन विधायकों को दी गयी।

इसके बाद सीधे 19.1.18 को चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति को भारी भरकम राय भेज दी। इस राय पर मुख्य चुनाव आयुक्त ए के ज्योति, चुनाव आयुक्त ओपी रावत और चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा तीनों के हस्ताक्षर दर्ज है। चुनाव आयोग की इस सिफारिश पर 20.1.18 को राष्ट्रपति ने भी अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी और इन विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी गयी। इस पर विधायकों ने चुनाव आयोग की राय को इस आधार पर चुनौती दी कि जब ओपी रावत ने 19.4.17 को अपने को मामले से अलग कर लिया था तो इनको सुचित किये बिना वह मामले से पुन: संवद्ध कैसे हो गये क्योंकि इसी अलग होने के कारण वह 23.6.17 के आदेश में हस्ताक्षरी नहीं है। फिर 23.6.17 के बाद कब मामले की तारीख लगी और उनको सूचना क्यों नही दी गयी। फिर 19.1.18 को ही तीसरे चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने आयोग में पदभार ग्रहण किया है। उनके सामने कभी मामले की सुनवाई हुई ही नही है। वह मामले से संवद्ध रहे ही नही है ऐसे में वह 19.1.18 के फैसले में हस्ताक्षरी कैसे हो सकते हैं। इससे प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की उल्लंघना होती है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने 79 पृष्ठों के फैसले में ऐसे सवाल खड़े किये जिनसे चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पूरी तरह धूल में मिल जाती है। ऐसा लगता हैं कि इन विधायकों को येन केन प्रकारेण विधानसभा से बाहर करने के लिये आयोग पर कोई बड़ा दबाव था। लोकतन्त्र की रक्षा के लिये आयोग के इस आचरण पर एक बड़ी बहस उठनी चाहिये ताकि नौकरशाही भविष्य में इस तरह का आचरण करने से पहले कुछ विचार अवश्य कर ले। जिन चुनाव आयुक्तों की निष्पक्षता पर सवाल उठे हैं उन्हे नैतिकता के आधार पर स्वयं ही देशहित में अपने पदों से त्यागपत्र दे देना चाहिये।

पेपर लीकः समस्या, चर्चा चिंता –चिंतन और समाधान

भारत जैसे देश में जहां 70 वर्ष की आजादी के बाद भी लाचार शिक्षा प्रणाली, लाचार व्यवस्था, मजबूर शिक्षार्थी, अभिभावक और लोलुप शिक्षण संस्थान (जिन के लिए शिक्षा मात्र पैसा कमाने का एक साधन मात्र है), अकर्मण्य बोर्ड और भ्रष्ट अधिकारी, संवेदनहीन संसद और सरकार हो वहां पर पेपर लीक जैसे मामले होना सामान्य घटना है और देश की मीडिया के लिए यह एक सुर्खी मात्र है जो चैनल या अखबार की टीआरपी बढ़ाने का साधन बने। ''डा के राकेश''

देश की संसद का सत्र चल रहा हो और जन और मन की आवाज उठाने वाले दोनों खामोश। देश के युवा और छात्रों के लिए इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं हो सकती। हाल ही में न सिर्फ SSE की महत्वपूर्ण परीक्षा का पेपर लीक हुआ, उस पर अभी हंगामा, छींटाकशी और दोषारोपण जारी ही था कि CBSE की 10, गणित और 12 की इकोनॉमिक्स की परीक्षा का पर्चा लीक होने की खबर और लीक हुए पर्चो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद देश में बवंडर खड़ा हो गया। हालांकि यह कोई नई घटना नहीं है या ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। बिहार, उत्तरप्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरयाणा, मध्यप्रदेश PMT Rajyelok seva ayog, की पीसीएस और न्यायिक सेवाओं के पर्चे लीक होने, अपनो के द्वारा अपनो की नियुक्ति, चहेतों को रेलवे, पीएसयू, बोर्डो कॉर्पोरेशनों में भर्ती करने के लिये पेपर लीक और ठीक करने की घटनायें और मामले बदस्तूर जारी हैं। समस्या गम्भीर है, निदान जरूरी है इसलिये इस पर चर्चा चिंता, चिंतन और समाधान और भी जरूरी है।

विभिन्न परिक्षाओं में धांधली न हो, केवल योग्य और ईमानदार परीक्षार्थी ही उत्तीर्ण हों, इसके लिए परीक्षा बोर्ड और चयन आयोगों का गठन किया गया है। स्कूल स्तर की परीक्षा हेतु ICSE, ISC, CBSE board, के साथ साथ राज्यों के अपने बोर्ड भी बनाये गए हैं मगर कालांतर में इन बोर्डो के मुखिया या चेयरमैन, स्टाफ की नियुक्ति योग्यता, निष्पक्षता को दरकिनार कर राजनैतिक आधार पर होने से इनकी कार्यप्रणाली, में पक्षपात और भ्रष्टाचार का बोलबाला होने लगा। पंजाब, हरियाना, उत्तरप्रदेश चयन आयोगों, MCI के लोगों को न्यायालय द्वारा सजा सुनाए जाने के प्रकरणो ने इस आरोप को पुष्ट कर दिया। जिस देश में पढ़े लिखे युवा बेरोजगार 12 करोड़ हों और नौकरियां सिर्फ हजारों में वहां व्यवस्था की कमजोरियों का फायदा उठा कर नौकरी की चाह और परीक्षा में अच्छे नंबर लेने, प्रवेश परीक्षा में टॉप रैंक लेने की इच्छा रखने वाले छात्रों और अभिभावकों को लूटने का धंधा चलाने वाले माफिया का पनपना स्वभाविक है। शिक्षा के निजीकरण ने इस में आग में घी की भूमिका निभाई। इस माफिया को जब राजनैतिक पराश्रय मिल जाये तो सोने पर सुहागा।

आंकड़ों को सही मान लें तो देश में वर्ष 2017 में दो कक्षाओं यानी 10, 12 वीं की परीक्षा देने वाले कुल छात्रों की संख्या 1,44,33107, यानी डेढ़ करोड़ के आस पास थी, जो 2018 में बढ़ कर अनुमानित, 1,56,35,257, हो गए। इस वर्ष की सी बी एस सी परीक्षा देने वालों का आंकड़ा 28 लाख के पार हो गया। और अगर इनके आधे भी विद्यार्थी गणित की 10वीं और इकोनॉमिक्स की 12 वीं की परीक्षा में बैठे हों तो लगभग 14 लाख बेकसूर, जिन्होंने बोर्ड परीक्षा के मानसिक तनाव से अभी मुक्ति भी नही पाई थी कि पेपर लीक माफिया और भ्रष्ट तंत्र ने उनको फिर बड़े तनाव में डाल दिया, और तंत्र के मुखिया ऐयरकंडिशड कमरे से अपने तंत्र के बेकसूर होने और भविष्य में लीक प्रूफ परीक्षा का खोखला दावा करते मीडिया चैनलों के ब्रेकिंग न्यूज पर छाए रहे। मगर मुखिया यह बताने में असमर्थ रहे कि उन बेचारे 14 लाख बेकसूर छात्रों की मानसिक स्थिति के कारण होने वाली दुर्घटना या दुबारा परीक्षा मे संयोगवश अच्छा प्रदर्शन न कर पाने की स्थिति में उनके आगामी प्रवेश न होने या अन्य नुकसान का जिम्मेदार कौन होगा और उसकी भरपाई सरकार और व्यवस्था कैसे करेगी। इस देश के लिए और शर्म की बात क्या होगी कि जिन बोर्डो के अधिकारियों और राजनीतिक आधारित नियुक्ति प्राप्त लोगों कर वेतन और दौरों पर करदाताओं के करोड़ों रुपये लुटा दिए जाते हैं वह लोग 1.5 करोड़ छात्रों को दिए जाने वाले प्रश्न पत्र तक खुद नहीं छपवा सकते। आउटसोर्स एजेंसी के भीतर गोपनीयता और विश्वसनीयता बनी रहेगी इसकी जिम्मेदारी किसी की नहीं। बोर्ड परीक्षा में कुछ चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए करोड़ों अन्य छात्रों का भविष्य दाव पर लगाने वालों को मृत्यु दंड से भी कड़ा दंड मिलना चाहिए। इसे देश का दुर्भाग्य ही कहा जायेगा कि एक भी केन्द्रीय मन्त्री, एक भी राज्यो के मुख्यमन्त्री ने इस घटना की न तो निंदा ही की और न ही परीक्षा रद्द होने और दोबारा परीक्षा देने वाले, छात्रों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की। दोबारा परीक्षा के वक्त भी पर्चा लीक नहीं होगा इसकी गारन्टी भी कोई नहीं दे रहा।

अब सवाल ये उठना लाजमी है कि परीक्षा में नकल के गोरख धन्धे, के साथ पेपर लीक जैसे अक्षमय अपराध के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाएं। इनकी पुनरावृत्ति न हो। इस दिशा में महत्वपूर्ण है कि एक अध्यापक या शिक्षाविद एक विषय का पर्चा ना डाल सके। अपितु 4-5 लोगों से प्रश्नपत्र बनवा के साफ्ट कॉपी से मिला जुला के निर्धारित 8/10 वांछित प्रश्न रैंडम आधार पर निकाल ले और अति गोपनीय तरीके से वरिष्ठ अधिकारी के सामने उसके जिम्मेदारी पर प्रश्न पत्र छापें। बजट और करंसी नोट की तरह छपायी हो और छपाई से लगे किसी भी कर्मी और अधिकारी को घर जाने की अनुमति न हो। कोई डिवाइस भी छापे खाने में न आ सके।

इसी कड़ी में परीक्षा भवन में प्रश्न हल करने के लिए छात्रों को पुस्तके लाने की अनुमति हो मगर प्रश्न पत्र एक सेंट्रल प्लस से प्रकाशन से 60 मिनट्स पहले स्क्रीन पर आए और वहीं प्रिंट हो कर वितरित हो। ऐसे प्रयोग बहुत सी विभागीय परीक्षा में हो रहे है। मगर केवल वही छात्र जो निरंतर पढ़ाई करते हैं। ऐसे प्रश्नपत्र हाल करने में समर्थ होते हैं। ''नो एलेक्ट्रॉनिक डिवाइस'' फॉर स्टूडेंट्स- इन्विजीलेशन स्टॉफ, नो सेल फोन भी कारगर उपाय है।

इस कड़ी में छपी हुई प्रश्न पत्र वाली उत्तर पुस्तिकाएँ, निर्धारित उत्तर स्थान और शब्द संख्या, हर विषय की परीक्षा में आ ब स द या 1,2,3, 4 कोड वाले प्रश्नपत्र जिस में शॉर्ट आब्जेक्टिव, प्रश्न भी हों, पेपर लीक जैसे मामलों में कारगर हथियार हो सकते हैं। बशर्ते हम और व्यवस्था इसके लिए इच्छा शक्ति रखते हो।

शिक्षा व्यवस्था में निजीकरण की आड़ में हो रहे खिलवाड़ और कोचिंग अकादमी व्यापार को भी कानून के शिकंजे की जरूरत है। UGC , AECTE, MCI, DCI, Shiksha बोर्डो में नियुक्ति के समय पद, गोपनीयता की शपथ और कड़ी निगरानी व्यवस्था का निर्माण जरूरी है। सरकारी विद्यालयों, महाविद्यालयो, विश्वविद्यालयों में दोहरी पाली, खाली शिक्षण पदों को भरना और सरकार के गुणवत्ता निरीक्षण तंत्र का स्वतन्त्र, निष्पक्षता, निर्भीकता तथा उलंघनकर्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही हेतु सक्षम होना उतना ही जरूरी है जितना संस्थान खोलने के मानकों को गुणवत्ता परक बनाना।

''वरना हम लोगों के लिए वो मशहूर कथन के देश को ध्वस्त करने के लिए गोली, बम या तोप की जरूरत नहीं बस 4 वर्ष देश की हर परीक्षा में नकल की छूट दे दो। नकल आधारित परीक्षा से पास हुए डॉक्टर इंजीनियर्स, मैनेजर्स, वैज्ञानिक, ऑफिसर्स पूरे देश को अपने आप डुबो देंगे, सत्य सिद्ध हो जाएगा।''

2020 तक नई एकीकृत शिक्षा योजना 'सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा' को मंजूरी

शिमला/पीआईबी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने 01 अप्रैल 2018 से 31 मार्च, 2020 के लिएनई एकीकृत शिक्षा योजना बनाने के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित योजना में, सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) और शिक्षक शिक्षण अभियान समाहित होंगे। प्रस्तावित योजना के लिए 75 हजार करोड़ रुपए मंजूर किये गये है। यह राशि मौजूदा आवंटित राशि से 20 प्रतिशत अधिक है।

प्रस्तावित योजना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा' के विजन के परिप्रेक्ष्य में लाई गई है तथा इसका लक्ष्य पूरे देश में प्री-नर्सरी से लेकर बारहवीं तक की शिक्षा सुविधा सबको उपलब्ध कराने के लिए राज्यों की मदद करना है।

योजना का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में सतत् विकास के लक्ष्यों के अनुरूप नर्सरी से लेकर माध्यमिक स्तर तक सबके लिए समान रूप से समग्र और गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करना है। एकीकृत स्कूली शिक्षा योजना में शिक्षकों और प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने पर खास जोर दिया गया है।

स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों के लिए योजना के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है। गुणवत्ता युक्त शिक्षा की व्यवस्था और छात्रों के सीखने की क्षमता में वृद्धि, स्कूली शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक असमानता को पाटना, स्कूली शिक्षा के सभी स्तर पर समानता और समग्रता सुनिश्चित करना, स्कूली व्यवस्था में न्यूनतम मानक सुनिश्चित करना, शिक्षा के साथ व्यवसायीकरण प्रशिक्षण को बढ़ावा देना, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, 2009 को लागू करने के लिए राज्यों की मदद करना तथा, राज्यों की शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदों, शिक्षण संस्थाओं और जिला शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थाओं (डीआईईटी) को शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए नोडल एजेंसी के रूप में सशक्त और उन्नत बनाना।

इस योजना से राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को अपने उपलब्ध संसाधनों के हिसाब से अपनी प्राथमिता तय करने और योजना के प्रावधान लागू करने का अवसर मिलेगा। इससे स्कूली शिक्षा के विभिन्न चरणों में बच्चों के आगे शिक्षा जारी रखने के मामलो में बढ़ोतरी होगी तथा बच्चों को अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के लिए सार्वभौमिक रूप से मौका मिलेगा। योजना का उद्देश्य बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराने के साथ ही उन्हें विभिन्न तरह के कौशल और ज्ञान में दक्ष बनाना है जो उनके सर्वांगीण विकास के साथ ही भविष्य में कार्यजगत में जाने और उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए आवश्यक है। योजना से बजटीय आवंटन का बेहतर और मानव संसाधन तथा पूर्ववर्ती योजनाओं के लिए तैयार की गई संस्थागत संरचनाओं का प्रभावी इस्तेमाल हो सकेगा।

शिक्षा के संदर्भ में समग्र दृष्टिकोण, पहली बार स्कूली शिक्षा के लिए उच्चतर माध्यमिक और नर्सरी स्तर की शिक्षा का समावेश, सम्पूर्ण इकाई के रूप में स्कूलों का एकीकृत प्रबंधन, गुणवत्ता युक्त शिक्षा पर ध्यान, सीखने की क्षमता को बेहतर बनाने पर जोर, शिक्षकों के क्षमता विकास को बढ़ाना, शिक्षक प्रशिक्षण गुणवत्ता सुधार के लिए एससीईआरटी जैसे शिक्षक शिक्षण संस्थाओं और डीआईईटी को सशक्त बनाना, डीटी के चैनल, डिजिटल बोर्ड और स्मार्ट क्लास रूम के जरिए शिक्षा में डिजिटल प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को बढ़ावा देना, स्वच्छ विद्यालय की मदद के लिए स्वच्छता गतिविधियों की विशेष व्यवस्था, सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता सुधारना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान की प्रतिबद्धता को बढ़ावा देने के लिए, कक्षा 6-8 से लेकर 12वीं कक्षा तक, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का उन्नयन, स्कूलों में कौशल विकास पर जोर, खेलो इंडिया के समर्थन में स्कूलों में खेलों और शारीरिक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों की व्यवस्था, शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े ब्लॉकों, चरमपंथ प्रभावित राज्यों, विशेष ध्यान देने वाले राज्यों/जिलों और सीमावर्ती इलाकों और विकास की आकांक्षा वाले 115 जिलों को प्राथमिकता।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)

हिमाचल के 41 शहरों और कस्बों के लिए 55 करोड़ रुपये का निवेश

शिमला/पीआईबी। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत शहरी गरीबों के लाभ के लिये 3,21,567 घरों के निर्माण के लिए 4,753 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता के साथ 18,203 करोड़ रुपये निवेश को मंजूरी दी। यह स्वीकृति केंद्रीय अनुमोदन और निगरानी समिति की 32 वीं बैठक में दी गई। हरियाणा,

पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मिजोरम, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, बिहार, केरल, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और गोवा राज्यों के 523 शहरों में परियोजनाओं को स्वीकृति दी।

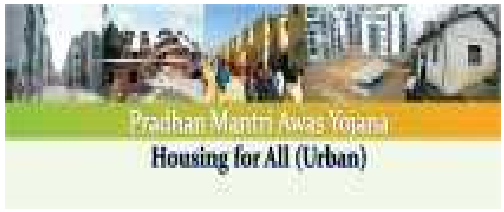

हरियाणा के 55 शहरों और कस्बों में 70,671 घरों के लिए 1,060 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता के साथ 7,261 करोड़ रुपये के निवेश को स्वीकृति दी। पश्चिम बंगाल के 86 शहरों और कस्बों में 59,929 घरों के लिए 899 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता और 2,431 करोड़ रुपये का निवेश किया गया। राजस्थान के 48 शहरों में 54,821 सस्ते घरों के लिए 822 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता और 2,519 करोड़ रुपये के निवेश को स्वीकृति दी गई। उत्तर प्रदेश के 121 शहरों और कस्बों में 39,683 घरों के लिए 595 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता के साथ 1,059 करोड़ निवेश को स्वीकृति दी गई। गुजरात के 19 शहरों और कस्बों में 35,851 घरों के लिए 467 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता के साथ 2,204 करोड़ रुपये निवेश को स्वी कृति दी गई। मिजोरम के 16 शहरों और कस्बों में 15,798 घरों के लिए 237 करोड़ की केन्द्रीय सहायता के साथ 316 करोड़ रुपये का निवेश किया गया। कर्नाटक के 58 शहरों में 11, 941 सस्ते घरों के लिए 179 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता और 605 करोड़ रुपये के निवेश को स्वीकृति दी गई। महाराष्ट्र के 15 शहरों और कस्बों में 10,639 घरों के लिए 156 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता के साथ 863 करोड़ रुपये के निवेश को स्वीकृति दी गई। मध्यप्रदेश के 11 शहरों और कस्बों में 5,426 घरों के लिए 81 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता के साथ 289 करोड़ रुपये का निवेश किया गया। बिहार के 10 शहरों में 8,154 सस्ते घरों के लिए 122 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता के साथ 388 करोड़ के निवेश को स्वीकृति दी गई। केरल के 32 शहरों और कस्बों में 5,073 घरों के लिए 76 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता के साथ 203 करोड़ रुपये के निवेश को स्वीकृति दी गई। हिमाचल प्रदेश के 41 शहरों और कस्बों में 3,345 घरों के लिए 50 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता के साथ 55 करोड़ रुपये का निवेश किया गया। पंजाब के 1 शहर में 176 सस्ते घरों के लिए 2.7 करोड़ की केन्द्रीय सहायता के साथ 9 करोड़ रुपये के निवेश को स्वीकृति दी गई। गोवा के 10 शहरों में 60 घरों के लिए 2.43 करोड़ रुपये निवेश को स्वीकृति दी गई।

उपरोक्त प्रस्तावित घरों के साथ, सीएसएमसी के अंतिम अनुमोदन के बाद पीएमएवाई (शहरी) के तहत संचयी घर 42,45,792 हो जाएंगे। इसके अलावा आरएवाई योजना की परियोजनाओं को शामिल करने के बाद पीएमएवाई (शहरी) के तहत वित्त पोषित होने वाले घरों की कुल संख्या 43,87,640 हो जाएगी।

32 वें सीएसएमसी में गोवा की भागीदारी के साथ, सभी 35 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में कस्बों और शहरों को पीएमएवाई (शहरी) मिशन के तहत शामिल किया गया है।

सरसों तेल को छोड़कर अन्य सभी खाद्य तेलों के थोक निर्यात की अनुमति

शिमला/पीआईबी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने सरसों के तेल को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के खाद्य तेलों के बड़ी मात्रा में निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटाने के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरसों के तेल के लिए 900 अमेरिकी डॉलर प्रति टन के न्यूनतम मूल्य पर पांच किलोग्राम के उपभोक्ता पैक में निर्यात की अनुमति जारी रहेगी।

आर्थिक मामलों की समिति ने खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव की अध्यक्षता वाली समिति को अधिकार सम्पन्न बनाने की भी स्वीकृति दे दी है। इस समिति में वाणिज्य, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण, राजस्व, उपभोक्ता मामले तथा विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) के सचिव शामिल हैं। समिति को घरेलू उत्पादों और मांग, घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय कीमतों तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा के आधार पर विभिन्न प्रकार के खाद्य तेलों की आयात-निर्यात नीति की समीक्षा करने तथा उन पर मात्रात्मक प्रतिबंध, पूर्व पंजीकरण, न्यूनतम निर्यात मूल्य तय करने और आयात शुल्क में बदलाव के संबंध में आवश्यक उपाय करने का अधिकार होगा।

खाद्य तेलों का उपभोक्ता पैक में निर्यात करने तथा समय-समय पर उनका न्यूनतम निर्यात मूल्य तय करने का वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता वाली अंतर-मंत्रालय समिति का अधिकार समाप्त कर दिया गया है।

सभी तरह के खाद्य तेलों के निर्यात पर लगा प्रतिबंध हटाने से खाद्य तेलों के अतिरिक्त विपणन के अवसर उपलब्ध होंगे। इससे किसानों को तिलहनों से ज्यादा वसूली हो सकेगी, जिससे वे लाभान्वित होंगे। खाद्य तेलों के निर्यात की अनुमति मिलने से मंद पड़े देश के खाद्य तेल उद्योग की क्षमता में वृद्धि होगी। इससे निर्यात प्रतिबंध और कई तरह की रियायतों की वजह से उत्पन्न हुई दुविधा की स्थिति खत्म हो सकेगी और कारोबारी सहूलियत का मार्ग प्रशस्त होगा।

पिछले दो वर्षों की तुलना में 2016-17 के दौरान देश में तिलहन उत्पादन में भारी वृद्धि देखी गई है। ऐसी संभावना है कि 2017-18 में भी उत्पादन वृद्धि का यह स्तर बना रहेगा। अभी तक केवल कुछ खाद्य तेलों को ही बड़ी मात्रा में निर्यात की अनुमति है। अन्य खाद्य तेलों का निर्यात पांच किलोग्राम के उपभोक्ता पैक में न्यूनतम निर्यात मूल्य पर में ही किया जा सकता है। देश में खाद्य तेलों के बढ़ते उत्पादन को सहारा देने तथा इन तेलों के विपणन के लिए अतिरिक्त संभावनाएं तलाशने के लिए सरसों के तेल को छोड़कर अन्य खाद्य तेलों के बड़े पैमाने पर निर्यात की अनुमति दिया जाना जरूरी हो गया था। सरसों के तेल का भारत में बड़े पैमाने पर उपभोग किया जाता है।

शिक्षा ऋण योजना के तहत 2020 तक 10 लाख विद्यार्थी होंगे लाभान्वित

शिमला/पीआईबी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने शिक्षा ऋण योजना के लिए ऋण गारंटी कोष (सीजीएफईएल) को जारी रखने और केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी (सीएसआईएस) योजना को जारी रखने और उसमें संशोधन करने की स्वीकृति दे दी है। दोनों योजनाएं 6,660 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ 2017-18 से 2019-20 तक जारी रहेंगी। इस अवधि में 10 लाख विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण उपलब्ध होंगे।

वर्तमान प्रस्ताव में संशोधनः अधिक विद्यार्थियों को लाभ तक पहुंचने की अनुमति देने के लिए (और यह विचार करते हुए भी कि ऋण का औसत आकार केवल 4 लाख रुपये रहा है) ऋण राशि की सीमा 7.5 लाख रुपये पर फिर से तय की गई है। पाठ्यक्रम अवधि एक वर्ष स्थगन अवधि होगी।

गुणवत्ता शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए यह योजनाएं उन ऋणों को कवर करेगी जो एनएएसी से मान्यता प्राप्त संस्थान और एनबीए या राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों या केंद्र वित्त पोषित तकनीकी संस्थानों (सीएफटीआई) द्वारा मान्यता प्राप्त पेशेवर/तकनीकी कार्यक्रमों को आगे जारी रखने के लिए है। लेकिन यह स्थिति संभावित प्रभाव से लागू होगी और वर्तमान ऋणों में लागू नहीं होगी।

योजना की बेहतर निगरानी के लिए एक डैश बोर्ड स्थापित किया जाएगा।

कवरेजः 2009 में योजना लागू होने के बाद से प्रति वर्ष औसत शिक्षा ऋण केवल 2.78 लाख रहा। संशोधित योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष ऋणों की संख्या अनुमान के अनुसार कम से कम 3.3 लाख होगी। इस तरह यह पहले की योजना की तुलना में 20 प्रतिशत की वृद्धि है।

योजना का उपरोक्त नया ढांचा सभी को गुणवत्ता संपन्न शिक्षा देने की सरकार की नीति के अनुरूप है।

केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी योजना (सीएसआईएस) पहली अप्रैल 2009 को लांच की गई। योजना के अंतर्गत स्थगन अवधि के लिए भारत में आगे के पेशेवर/तकनीकी पाठ्यक्रमों को जारी रखने के लिए भारतीय बैंक एसोसिएशन की आदर्श शिक्षा ऋण योजना के अंतर्गत अनुसूचित बैंकों से लिए गए शिक्षा ऋण पर पूरी ब्याज सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है। ऋणों का वितरण बिना किसी जमानती सुरक्षा और तीसरे पक्ष की गारंटी के किया जाता है। जिन विद्यार्थियों के अभिभावकों की आय 4.5 लाख रुपये तक है वे विद्यार्थी योजना का लाभ उठा सकते हैं। यह सब्सिडी स्नातक और स्नातकोत्तर या एकीकृत पाठ्यक्रमों के लिए स्वीकार्य है। योजना के प्रारंभ होने के समय से ब्याज सब्सिडी रूप में 9,408.52 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है और अभी तक 25.10 लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं।

शिक्षा ऋणों के लिए भारतीय बैंक एसोसिएशन की आदर्श शिक्षा ऋण योजना के अंतर्गत शिक्षा ऋण के लिए गारंटी दी जाती है। इसका वितरण बैंकों द्वारा जमानती सुरक्षा और तीसरे पक्ष की गारंटी के बिना किया जाता है और यह 7.5 लाख रुपये की अधिकतम ऋण राशि के लिए होती है।

आईआईएम बैंगलूर द्वारा योजना का तीसरे पक्ष का मूल्यांकन किया गया है। इसमें सुझाव है कि योजना को विवेकसंगत बनाया जाए ताकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के और अधिक विद्यार्थी लाभ उठा सकें।

आदर्श शिक्षिका

झुझुनू के एक प्राथमिक स्कूल मे अंजलि नाम की एक शिक्षिका थी। वह कक्षा 5 की क्लास टीचर थी। उसकी एक आदत थी कि वह कक्षा मे आते ही हमेशा "LOVE YOU ALL" बोला करती थी। मगर वह जानती थी कि वह सच नहीं बोल रही। वह कक्षा के सभी बच्चों से एक जैसा प्यार नहीं करती थी।

कक्षा में एक ऐसा बच्चा था जो उनको फूटी आंख भी नहीं भाता था। उसका नाम राजू था। राजू मैली कुचेली स्थिति में स्कूल आ जाया करता है। उसके बाल खराब होते, जूतों के बन्ध खुले, शर्ट के कॉलर पर मेल के निशान। पढ़ाई के दौरान भी उसका ध्यान कहीं और होता था।

मेडम के डाँटने पर वह चौंक कर उन्हें देखता, मगर उसकी खाली खाली नजरों से साफ पता लगता रहता कि राजू शारीरिक रूप से कक्षा में उपस्थित होने के बावजूद भी मानसिक रूप से गायब है यानी (प्रजेंट बाडी अफसेंट माइड) धीरे धीरे मेडम को राजू से नफरत सी होने लगी। क्लास में घुसते ही राजू मेडम की आलोचना का निशाना बनने लगता। सब बुराई वाले उदाहरण राजू के नाम पर किये जाते। बच्चे उस पर खिलखिला कर हंसते, और मेडम उसको अपमानित करके संतोष प्राप्त करतीं। राजू ने हालांकि किसी बात का कभी कोई जवाब नहीं दिया था।

मेडम को वह एक बेजान पत्थर की तरह लगता जिसके अंदर आत्मा नाम की कोई चीज नहीं थी। प्रत्येक डांट, व्यंग्य और सजा के जवाब में वह बस अपनी भावनाओं से खाली नजरों से उन्हें देखा करता और सिर झुका लेता। मेडम को अब इससे गंभीर नफरत हो चुकी थी।

पहला सेमेस्टर समाप्त हो गया और प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाने का चरण आया तो मेडम ने राजू की प्रगति रिपोर्ट में यह सब बुरी बातें लिख मारी। प्रगति रिपोर्ट माता पिता को दिखाने से पहले हेड मास्टर के पास जाया करती थी। उन्होने जब राजू की प्रोग्रेस रिपोर्ट देखी तो मेडम को बुला लिया। ''मेडम प्रगति रिपोर्ट में कुछ तो राजू की प्रगति भी लिखनी चाहिए। आपने तो जो कुछ लिखा है इससे राजू के पिता इससे बिल्कुल निराश हो जाएंगे।'' मेडम ने कहा ''मैं माफी माँगती हूँ, लेकिन राजू एक बिल्कुल ही अशिष्ट और निकम्मा बच्चा है। मुझे नहीं लगता कि मैं उसकी प्रगति के बारे में कुछ लिख सकती हूँ।' 'मेडम घृणित लहजे में बोलकर वहां से उठ कर चली गई स्कूल की छुट्टी हो गई आज तो।

अगले दिन हेड मास्टर ने एक विचार किया और उन्होंने चपरासी के हाथ मेडम की डेस्क पर राजू की पिछले वर्षो की प्रगति रिपोर्ट रखवा दी। अगले दिन मेडम ने कक्षा में प्रवेश किया तो रिपोर्ट पर नजर पड़ी। पलट कर देखा तो पता लगा कि यह राजू की रिपोर्ट हैं। ' मेडम ने सोचा कि पिछली कक्षाओं में भी राजू ने निश्चय ही यही गुल खिलाए होंगे।' उन्होंने सोचा और कक्षा 3 की रिपोर्ट खोली। रिपोर्ट में टिप्पणी पढ़कर उनकी आश्चर्य की कोई सीमा न रही जब उन्होंने देखा कि रिपोर्ट उसकी तारीफों से भरी पड़ी है। 'राजू जैसा बुद्धिमान बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा।' 'बेहद संवेदनशील बच्चा है और अपने मित्रों और शिक्षक से बेहद लगाव रखता है।' 'यह लिखा था

अंतिम सेमेस्टर में भी राजू ने प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है। 'मेडम ने अनिश्चित स्थिति में कक्षा 4 की रिपोर्ट खोली।' राजू ने अपनी मां की बीमारी का बेहद प्रभाव लिया। उसका ध्यान पढ़ाई से हट रहा है। ''राजू की माँ को अंतिम चरण का कैंसर हुआ है। घर पर उसका और कोई ध्यान रखनेवाला नहीं है, जिसका गहरा प्रभाव उसकी पढ़ाई पर पड़ा है।'' लिखा था

निचे हेड मास्टर ने लिखा कि राजू की माँ मर चुकी है और इसके साथ ही राजू के जीवन की चमक और रौनक भी। उसे बचाना होगा...इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। 'यह पढ़कर मेडम के दिमाग पर भयानक बोझ हावी हो गया। कांपते हाथों से उन्होंने प्रगति रिपोर्ट बंद की। मेडम

की आंखो से आंसू एक के बाद एक गिरने लगे, मेडम ने अपने आंसू पोछे।

अगले दिन जब मेडम कक्षा में दाखिल हुई तो उन्होंने अपनी आदत के अनुसार अपना पारंपरिक वाक्यांश ''आई लव यू ऑल'' दोहराया। मगर वह जानती थीं कि वह आज भी झूठ बोल रही हैं। क्योंकि इसी क्लास में बैठे एक उलझे बालों वाले बच्चे राजू के लिए जो प्यार वह आज अपने दिल में महसूस कर रही थीं, वह कक्षा में बैठे और किसी भी बच्चे से अधिक था।

पढ़ाई के दौरान उन्होंने रोजाना दिनचर्या की तरह एक सवाल राजू पर दागा और हमेशा की तरह राजू ने सिर झुका लिया। जब कुछ देर तक मेडम से कोई डांट फटकार और सहपाठी सहयोगियों से हंसी की आवाज उसके कानों में न पड़ी तो उसने अचंभे में सिर उठाकर मेडम की ओर देखा। अप्रत्याशित उनके माथे पर आज बल न थे, वह मुस्कुरा रही थीं। उन्होंने राजू को अपने पास बुलाया और उसे सवाल का जवाब बताकर जबरन दोहराने के लिए कहा। राजू तीन चार बार के आग्रह के बाद अंततः बोल ही पड़ा। इसके जवाब देते ही मेडम ने न सिर्फ खुद खुशान्दाज होकर तालियाँ बजाई बल्कि सभी बच्चो से भी बजवायी..

फिर तो यह दिनचर्या बन गयी। मेडम हर सवाल का जवाब अपने आप बताती और फिर उसकी खूब सराहना तारीफ करतीं। प्रत्येक अच्छा उदाहरण राजू के कारण दिया जाने लगा। धीरे-धीरे पुराना राजू सन्नाटे की कब्र फाड़ कर बाहर आ गया। अब मेडम को सवाल के साथ जवाब बताने की जरूरत नहीं पड़ती। वह रोज बिना त्रुटि उत्तर देकर सभी को प्रभावित करता और नये नए सवाल पूछ कर सबको हैरान भी करता।

उसके बाल अब कुछ हद तक सुधरे हुए होते, कपड़े भी काफी हद तक साफ होते जिन्हें शायद वह खुद धोने लगा था। देखते ही देखते साल समाप्त हो गया और राजू ने दूसरा स्थान हासिल कर कक्षा 5 वीं पास कर लिया यानी अब दुसरी जगह स्कूल मे दाखिले के लिए तैयार था।

कक्षा 5 वी के विदाई समारोह में सभी बच्चे मेडम के लिये सुंदर उपहार लेकर आए और मेडम की टेबल पर ढेर लग गया। इन खूबसूरती से पैक हुए उपहारो में एक पुराने अखबार में बदतर सलीके से पैक हुआ एक उपहार भी पड़ा था। बच्चे उसे देखकर हंस रहे थे। किसी को जानने में देर न लगी कि यह उपहार राजू लाया होगा। मेडम ने उपहार के इस छोटे से पहाड़ में से लपक कर राजू वाले उपहार को निकाला। खोलकर देखा तो उसके अंदर एक महिलाओं द्वारा इस्तेमाल करने वाली इत्र की आधी इस्तेमाल की हुई शीशी और एक हाथ में पहनने वाला एक बड़ा सा कड़ा (कंगन) था जिसके ज्यादातर मोती झड़ चुके थे।

मिस ने चुपचाप इस इत्र को खुद पर छिड़का और हाथ में कंगन पहन लिया। बच्चे यह दृश्य देखकर सब हैरान रह गए। खुद राजू भी। आखिर राजू से रहा न गया और मिस के पास आकर खड़ा हो गया। ।

कुछ देर बाद उसने अटक अटक कर मेडम को बोला 'आज आप में से मेरी माँ जैसी खुशबू आ रही है।' इतना सुनकर मेडम के आखों मे आंसू आ गये और मेडम ने राजू को अपने गले से लगा लिया

राजू अब दूसरी स्कूल मे जाने वाला था, राजू ने दूसरी जगह स्कूल मे दाखिले ले लिया था, समय बितने लगा। दिन सप्ताह,

सप्ताह महीने और महीने साल में बदलते भला कहां देर लगती है?

मगर हर साल के अंत में मेडम को राजू से एक पत्र नियमित रूप से प्राप्त होता जिसमें लिखा होता कि 'इस साल कई नए टीचर्स से मिला।। मगर आप जैसा मेडम कोई नहीं था।'

फिर राजू की पढ़ाई समाप्त हो गयी और पत्रों का सिलसिला भी समाप्त। कई साल आगे गुजरे और मेडम रिटायर हो गई।

एक दिन मेडम के घर अपनी मेल में राजू का पत्र मिला जिसमें लिखा था: 'इस महीने के अंत में मेरी शादी है और आपके बिना शादी की बात मैं नहीं सोच सकता। एक और बात.. मैं जीवन में बहुत सारे लोगों से मिल चुका हूं। आप जैसा कोई नहीं है..... आपका डॉक्टर राजू

पत्र मे साथ ही विमान का आने जाने का टिकट भी लिफाफे में मौजूद था।

मेडम खुद को हरगिज न रोक सकी। उन्होंने अपने पति से अनुमति ली और वह राजू के शहर के लिए रवाना हो गईं। शादी के दिन जब वह शादी की जगह पहुंची तो थोड़ी लेट हो चुकी थीं।

उन्हें लगा समारोह समाप्त हो चुका होगा.. मगर यह देखकर उनके आश्चर्य की सीमा न रही कि शहर के बड़े डॉक्टर, बिजनेसमैन और यहां तक कि वहां पर शादी कराने वाले पंडित जी भी थक गये थे. कि आखिर कौन आना बाकी है..मगर राजू समारोह में शादी के मंडप के बजाय गेट की तरफ टकटकी लगाए उनके आने का इंतजार कर रहा था। फिर सबने देखा कि जैसे ही एक बूढ़ी औरत ने गेट से प्रवेश किया राजू उनकी ओर लपका और उनका वह हाथ पकड़ा जिसमें उन्होंने अब तक वह कड़ा पहना हुआ था कंगन पहना हुआ था और उन्हें सीधा मंच पर ले गया।

राजू ने माइक हाथ में पकड़ कर कुछ यूं बोला दोस्तों आप सभी हमेशा मुझसे मेरी माँ के बारे में पूछा करते थे और मैं आप सबसे वादा किया करता था कि जल्द ही आप सबको उनसे मिलाउंगा।।।..... ध्यान से देखो यह यह मेरी प्यारी सी मां, दुनिया की सबसे अच्छी है यह मेरी मां, यह मेरी माँ हैं –

दोस्तो अब कहानी लिखते लिखते आर्मी कमांडो के आखो मे भी आंसू आ गए हैं अब कहानी को विराम देता हूं – – – -

!! प्रिय दोस्तों.... इस सुंदर कहानी को सिर्फ शिक्षक और शिष्य के रिश्ते के कारण ही मत सोचिएगा। अपने आसपास देखें, राजू जैसे कई फूल मुरझा रहे हैं जिन्हें आप का जरा सा ध्यान, प्यार और स्नेह नया जीवन दे सकता है.....जय हिन्द वंदेमातरम् ....

'मुन्सी प्रेमचंद जी की एक सुंदर कविता'

ख्वाहिश नहीं मुझे
मशहूर होने की,
आप मुझे पेहचानते हो
बस इतना ही काफी है।

अच्छे ने अच्छा और
बुरे ने बुरा जाना मुझे,
क्यों की जिसकी जितनी जरूरत थी
उसने उतना ही पहचाना मुझे।

जिन्दगी का फलसफा भी
कितना अजीब है,
शामें कटती नहीं और
साल गुजरते चले जा रहें है।

एक अजीब सी
दौड है ये जिन्दगी,
जीत जाओ तो कई
अपने पीछे छूट जाते हैं
और हार जाओ तो
अपने ही पीछे छोड़ जाते हैं।

बैठ जाता हूँ
मिडी पे अकसर,
क्योंकी मुझे अपनी
औकात अच्छी लगती है।

मैंने समंदर से
सीखा है जीने का सलीका,
चुपचाप से बहना और
अपनी मौज मे रेहना।

ऐसा नहीं की मुझमें
कोई ऐब नहीं है,
पर सच कहता हूँ
मुझमें कोई फरेब नहीं है।

जल जात है मेरे अंदाज से
मेरे दुश्मन,
क्यों की एक मुद्दत से मैंने न मोहब्बत
बदली और न दोस्त बदले हैं।

एक घडी खरीदकर
हाथ मे क्या बांधा ली
वक्त पीछे ही
पड गया मेरे।

सोचा था घर बना कर
बैठुंगा सुकून से,
पर घर की जरूरतों ने
मुसाफिर बना डाला मुझे।

सुकून की बात मत कर
ऐ गालिब,
बचपन वाला इतवार
अब नहीं आता।

जीवन की भाग दौड मे
क्यूँ वक्त के साथ रंगत खो जाती है ?
हँसती-खेलती जिन्दगी भी
आम हो जाती है।

एक सवेरा था
जब हँसकर उठते थे हम,
और आज कई बार बिना मुस्कुराये
ही शाम हो जाती है।

कितने दूर निकल गए
रिश्तों को निभाते निभाते,
खुद को खो दिया हम ने
अपनों को पाते पाते।

लोग केहते है
हम मुस्कुराते बहुत है,
और हम थक गए
दर्द छुपाते छुपाते।

खुश हूँ और सबको
खुश रखता हूँ,
लापरवाह हूँ फिर भी
सब की परवाह करता हूँ।

मालूम है
कोई मोल नहीं है मेरा फिर भी
कुछ अनमोल लोगों से
रिश्ता रखता हूँ।

जलवायु परिवर्तन बनी वर्तमान समय की सबसे गम्भीर चुनौतिः जयराम ठाकुर

शिमला/शैल। पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विधायकों एवं नीति निर्माताओं के लिए हिमाचल प्रदेश में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन पर कार्यशाला का आयोजन किया गया।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने इस अवसर पर कहा कि जलवायु परिवर्तन वर्तमान समय में सबसे गम्भीर चुनौति बनकर उभरा है। हाल ही में आईपीसीसी द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार हमारी धरती के तापमान में पिछले 20 वर्षों में 0.2 डिग्री की बढ़ौत्तरी हुई। पिछले लगभग 6 लाख वर्षों में हमारे वातावरण में कार्बन डायआक्साईड तथा मिथेन जैसी तापमान बढ़ाने वाली गैसों में भारी बढ़ौत्तरी हुई है जो ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। जलवायु में होने वाले परिवर्तन से अनेक प्राकृतिक प्रकोप, सूखा, बाढ़, तूफान इत्यादि में भी वृद्धि होने की संभावना बढ़ गई है। जलवायु के गर्म होने से अनेक हिम खण्ड लुप्त होने की कगार पर है। हिमालय क्षेत्र में पड़ने वाला गंगोत्री हिमखण्ड लगभग 30 मीटर प्रतिवर्ष की दर से कम हो रहा है।

उन्होंने कहा कि हिमाचल में विद्यमान हिमखण्डों का विस्तार भी वर्ष 1962 की तुलना में 21 प्रतिशत घट चुका है। उन्होंने कहा कि यह चिन्ता का विषय है कि एक तरफ हम जल विद्युत परियोजनाओं के विस्तार करने की बात पर जोर दे रहे हैं वहीं दूसरी तरफ हिमखण्डों का विस्तार कम होने की आशंका है। ऐसी स्थिति में इस विषय पर गहन चिन्तन की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि हिमालय के अधिकतर ग्लेशियर सिकुड़ रहे हैं और हमें इन्हें बचाना होगा। उन्होंने कहा कि यदि पर्यावरण संरक्षण व ग्लेशियरों को पिघलने से बचाने के लिए कोई कदम न उठाए गए तो वर्ष, 2050 तक ग्लेशियर अवश्य हो जाएंगे, जिसके भयावह परिणाम सामने आएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी विभाग पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत सरकार के साथ समन्वय बनाकर कार्य कर रहा हैं। उन्होंने कहा कि यह प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह पर्यावरण संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण कार्य में अपना सकारात्मक सहयोग दे। उन्होंने कहा कि पर्यावरण की दिशा में हिमाचल सरकार की ओर से की गई पहल देश के अन्य राज्यों के लिए भी उदाहरण बन सकती है।

जय राम ठाकुर ने इस अवसर पर 'आदर्श ईको गांव योजना' का शुभारम्भ किया। उन्होंने आदर्श ईको ग्राम मार्ग निर्देशिका, कुल्लू जिला में व्यास नदी तट पर जलवायु परिवर्तन जोखिम मूल्यांकन की रिपोर्ट तथा जलवायु परिवर्तन पर हिन्दी भाषा में तैयार किए गए ब्रोशर को भी जारी किया।

इस अवसर पर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. राजीव बिन्दल ने कहा कि हम भारतीयों के लिए पर्यावरण कोई नया विषय नहीं है क्योंकि हमारे पूर्वजों ने हजारों वर्ष पूर्व विभिन्न वनस्पतियों का अध्ययन कर उनकी विशेषताओं की खोज की थी और उनमें विद्यमान लाभदायक तत्वों के बारे में जानकारी दी।

जलवायु परिवर्तन जी.आई.जैड. (भारत) के निदेशक डॉ. आशीष चतुर्वेदी ने इस अवसर पर ग्रामीण क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन पर प्रस्तुति देते हुए कहा कि जलवायु परिवर्तन कार्यान्वयन व क्षमता की अवधारणा की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए ठोस प्रयास करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में क्षमता निर्माण कार्यक्रमों पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर तक क्षमता निर्माण को सुदृढ़ करने के प्रयास विशेष रूप से किए जाने चाहिए। शिमला में इसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के प्रो. ए.के. गोसांई ने हिमाचल प्रदेश में जलवायु परिवर्तन व जल स्त्रोतों के प्रबन्धन के लिए नीति व योजना पर प्रस्तुति देते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में वर्षा पर किए गए अध्ययन दर्शाते हैं कि वर्ष भर में होने वाली वर्षा व बारिश वाले दिनों में भारी कमी हुई है। इससे प्रदेश के जल स्त्रोतों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा कि हमने प्रदेश की प्रत्येक नदियों के किनारे जल स्त्रोतों की उपलब्धता पर विश्लेषण किया ताकि वातावरण में जलवायु परिवर्तन के अनुमान का अध्ययन किया जा सके।

भारतीय विज्ञान संस्थान बैंगलुरू के डॉ. अनिल कुलकर्णी ने हिमालयन ग्लेशियर व जलवायु परिवर्तन पर विस्तृत प्रस्तुति दी।

टैरी के महानिदेशक अजय माथुर ने अपनी प्रस्तुति देते हुए कहा कि वन सम्पदा व जल स्त्रोतों के संरक्षण के लिए उच्च स्तर पर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। शहरी क्षेत्रों का पर्यावरण प्रदूषित होने से बचाने के लिए इलैक्ट्रिक बसों का प्रयोग और कचरे के निपटान के लिए संयंत्रों का निर्माण आदि पहल आवश्यक है। उन्होंने कहा कि क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक फल राज्य है इसलिए कृषि उपज बढ़ाने और रासायनिक खादों का न्यूनतम प्रयोग करने के लिए विशेषज्ञों से राय ली जानी चाहिए। उन्होंने राज्य में हरित आवरण की वृद्धि और पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्बन क्रेडिट योजना लागू करने पर भी बल दिया।

पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा नंदा ने प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कहा कि जलवायु परिवर्तन एक वास्तविकता है और हमें इस चुनौती से निपटने के लिए आपसी समन्वय के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए अगर समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो मानवता का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के लिए कारगर रणनीति तैयार करने के साथ-साथ इसके बारे में व्यापक जागरूकता उत्पन्न करने के लिए भी कदम उठाने होंगे। मुख्य सचिव विनीत चौधरी, विधानसभा के सचिव सुंदर सिंह वर्मा, पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के निदेशक डी.सी. राणा भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

दो माह में शुरू होगा केन्द्रीय विश्वविद्यालय देहरा परिसर का कार्य:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। कांगड़ा जिला के देहरा में स्थापित होने वाले केन्द्रीय विश्वविद्यालय परिसर का कार्य आगामी दो माह में आरम्भ कर दिया जाएगा ताकि इस वृहद् परियोजना को शीघ्र पूरा किया जा सके। यह जानकारी मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने विधायक होशियार सिंह के नेतृत्व में आए प्रतिनिधि मण्डल को सम्बोधित करते हुए दी। उन्होंने मुख्यमंत्री से भेंट कर इस परियोजना का कार्य शीघ्र आरम्भ करने का आग्रह किया।

ठाकुर ने कहा कि इस परियोजना का कार्य प्रदेश में पूर्व सरकार की नकारात्मक राजनीति के कारण प्रभावित हुआ।

उन्होंने कहा कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय के आरम्भ होने से क्षेत्र के लोग लाभान्वित होंगे। इस विश्वविद्यालय से न केवल प्रदेश तथा विशेषकर क्षेत्र के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त होगी, बल्कि क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।

उन्होंने कहा कि इस मामले पर उनकी केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावेड़कर से भी विस्तृत चर्चा हुई है। पूर्व मंत्री व विधायक रमेश धावाला भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का विशेष पुनरीक्षण कार्य पूरा

शिमला/शैल। निर्वाचन विभाग के एक प्रवक्ता ने जानकारी दी कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रमानुसार प्रदेश के समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य प्रथम जनवरी, 2018 की अहर्ता तारीख के आधार पर पूर्ण हो चुका है और भारत निर्वाचन आयोग के अनुमोदन से फोटोयुक्त मतदाता सूची-2018, 26 मार्च, 2018 को अन्तिम रूप में प्रकाशित की जा चुकी है।

उन्होंने जानकारी दी कि 23 जनवरी, 2018 को प्रारूप प्रकाशन के समय प्रदेश के समस्त 68 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में फोटोयुक्त मतदाता सूचियों में कुल 49,88,783 मतदाताओं के नाम दर्ज थे। पुनरीक्षण के दौरान कुल 48,361 नए मतदाता पंजीकृत हुए हैं। इस दौरान 18 से 19 वर्ष आयुवर्ग में 22,817 तथा 19 वर्ष से अधिक आयुवर्ग में 25,544 नए मतदाताओं के नाम दर्ज हुए हैं। इसके अतिरिक्त 21,715 मतदाताओं के नाम मृत्यु/स्थान परिवर्तन/दोहरे पंजीकरण आदि के कारण मतदाता सूचियों से हटाए गए हैं। इस प्रकार मतदाता सूची में कुल 26,646 मतदाताओं की बढ़ौत्तरी हुई है जो 0.53 प्रतिशत है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटोयुक्त मतदाता सूचियों में अब कुल 50,15,429 मतदाता पंजी त हैं जिसमें 25,44,040 पुरूष तथा 24,71,389 महिलाएं हैं। प्रदेश की जनसंख्या लिंग अनुपात 973 की तुलना में मतदाताओं का लिंग अनुपात 971 है। प्रदेश में समस्त विधानसभा क्षेत्रों में सबसे अधिक 14-सुलह निर्वाचन क्षेत्र में 95,315 मतदाता व 21-लाहौल व स्पीति (अ.ज.जा.) में 23,028 सबसे कम मतदाता हैं।

26 मार्च, 2018 को अन्तिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची का निःशुल्क निरीक्षण संबंधित जिला निर्वाचन कार्यालय/ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एडीएम/एसडीएम)/ सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (तहसीलदार/नायब तहसीलदार) के कार्यालयों में, प्रत्येक मतदान केन्द्र पर अथवा बूथ लेवल अधिकारियों के पास उपलब्ध सूची में किया जा सकता है।

प्रवक्ता ने कहा कि इसके अतिरिक्त राज्य के समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियाँ निर्वाचन विभाग की वेबसाईट http://ceohimachal.nic.in पर भी उपलब्ध है। कोई भी व्यक्ति इन सूचियों में दर्ज नामों की पुष्टि वेबसाईट पर भी कर सकते हैं। इच्छुक व्यक्ति इन मतदाता सूचियों की फोटो रहित पीडीएफ फाईलों की सीडी 100 रुपये प्रति सीडी की दर से मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश शिमला के कार्यालय या संबंधित जिला निर्वाचन कार्यालय से भी प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए निर्वाचन विभाग के टोल फ्री नम्बर 1950 पर भी सम्पर्क कर सकते हैं।

अक्षय ने झटके चार पदक

शिमला/शैल। प्रदेश विश्वविद्यालय के विधि विभाग द्वारा आयोजित दो दिवसीय स्पोर्ट मीट में अक्षय ठाकुर ने चार मैडल जीतकर एक

शानदार जीत अपने नाम दर्ज कर ली। विधि विभाग के प्रो. राघवेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में आयोजित यह खेल मीट 26 और 27 मार्च दो दिन चली। इसमें चैस, फुटवाल, एथलैटिक्स, दौड़ एवम् अन्य खेलें आयोजन का हिस्सा थी जिनमें 200 से अधिक छात्रों ने भाग लिया।

इसमें अक्षय ठाकुर ने चैस और 400 मीटर रिले दौड़ में गोल्ड और फुटवाल तथा 100 और 200 मीटर दौड़ में सिल्वर

मैडल जीते हैं। इस तरह अक्षय अकेले ऐसे छात्र बन गये हैं जिन्होने एक ही मीट में दो गोल्ड मैडल और दो सिल्वर पदक जीत कर विश्वविद्यालय में इतिहास अपने नाम कर लिया है। अक्षय प्रदेश उच्च न्यायालय में वकालत कर रहे अधिवक्ता वाई के. ठाकुर के बेटे हैं।

प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने किया 15073 मामलों का निपटारा

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के प्रवक्ता ने कहा कि ट्रिब्यूनल के गठन के उपरान्त 31 मार्च, 2018 तक 23,563 मामले ट्रिब्यूनल के समक्ष आए हैं, जिनमें से 15,073 का अन्तिम निपटारा कर लिया गया है।

इसके अलावा 433 अवमानना याचिकाएं, 26 समीक्षा याचिकाएं, 41 क्रियान्वयन याचिकाएं तथा 6,408 विविध आवेदनों का भी इस अवधि के दौरान निपटारा किया गया है। हिमाचल उच्च न्यायालय से प्राप्त 6,458 मामलों में से 1,406 मामलों का अन्तिम निपटारा भी प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने किया है।

सम्पादक, प्रकाशक, मुद्रक एवं मालिक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

राज्य विद्युत बोर्ड में स्वतन्त्र निदेशकों की नियुक्ति के बाद क्या अन्य उपक्रमों में भी होगी ऐसी नियुक्तियां

पथ परिवहन निगम, प्रदेश बिजली निगम, प्रदेश बिजली संचार निगम, वन निगम और पर्यटन विकास निगम भी आते हैं इस दायरे में

शिमला/शैल। राज्य विद्युत बोर्ड में तीन स्वतन्त्र निदेशक नियुक्त किये गये। राजेन्द्र सिंह, के आर भारती और प्रियंका शर्मा। राजेन्द्र सिंह और केआरभारती दोनों सेवा निवृत आईएएस अधिकारी हैं। दोनो ने ही सेवा निवृति के बाद भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। दोनों का ही प्रशासनिक अनुभव है। लेकिन तीसरी निदेशक मण्डी जिले से ताल्लुक रखने वाली प्रियंका शर्मा का शायद कोई प्रशासनिक अनुभव नही है। वह केवल भाजपा की कार्यकर्ता ही है। यह नियुक्तियां ''स्वतन्त्र निदेशक'' के पद नाम से हुई है। ऐसा बोर्ड में पहली बार हुआ है कि गैर सरकारी निदेशकों की बजाये ''स्वतन्त्र निदेशक'' के पद नाम से नियुक्तियां हुई हैं इसलिये इन नियुक्तियों की अहमियत बढ़ जाती है और इसीलिये इन पर चर्चा करना आवश्यक हो जाता है।

गौरतलब है कि कंपनी लॉ अधिनियम 1956 में स्वतन्त्र निदेशक की अवधारणा नही थी। इसे 2013 में संशोधन करके लाया गया है। 2014 में इसके नियमों संशोधन करके यह प्रावधान किया गया है कि Unlisted public companies are requested to have at least two independent directors, of they meet any one of the following criteria:

a) Paid-up share capital of INR 10 crore or more

b) Turnover of INR 100 crore or more or

c) Outstanding loans / debentures/ deposits exceeding INR 50 crore.

इस प्रावधान के कारण हमारा राज्य विद्युत बोर्ड स्वतन्त्र निदेशक लगाये जाने के दायरे में आ जाता है। बल्कि प्रदेश सरकार के कुछ और उपक्रम भी इस दायर में आ जायेंगे क्योंकि सभी कंपनी लॉ के तहत ही पंजीकृत हैं। भले ही कोई उपक्रम स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिड न हो फिर भी अधिनियम में अब हुए संशोधनों के कारण कई अदारों में स्वतन्त्र निदेशक लगाये जाना अनिवार्य हो जायेगा।

स्वतन्त्र निदेशक की जिम्मेदारी होगी As per the amendment, independent directors should, inter alia act within their authority and assist in protecting the legitimate interests of the company, shareholders and its employees. इसी के साथ यह भी रखा गया है कि As per amendment, at least one meeting of independent directors should be held in a financial year, without the attendance of non-independent directors and members of management.

इससे स्पष्ट हो जाता है कि स्वतन्त्र निदेशकों की महत्ता और भूमिका संस्थान में क्या होगी। स्वतन्त्र निदेशकों से जो अपेक्षाएं रखी गयी है उन्ही के अनुरूप इनकी नियुक्ति की योग्यताओं में भी यह कहा गया है कि यह लोग एक उच्च intigrity and expertise और expreiance के होंगे। क्योंकि संस्थान के प्रबन्धन में इनका Definite 'say' होगा। पब्लिक लि. कंपनीयों में स्वतन्त्र निदेशक का प्रावधान इसलिये किया गया है। ताकि इनका शासन-प्रशासन एकदम पारदर्शी और चुस्त दुरूस्त रहे। कंपनी में निवेशकों के पैसे का दुरूप्योग न हो। अब पीएनबी में घटे नीरव मोदी कांड के बाद कंपनीयों में स्वतन्त्र निदेशकों की भूमिका और बढ़ गयी है। आरबीआई और सैबी ने इस संद्धर्भ में कुछ और दिशा निर्देश भी जारी किये हैं। इस परिदृश्य में जब राज्य विद्युत बोर्ड का आकलन किया जाये तो स्पष्ट है कि बोर्ड अभी तक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टड नही है। इसके 85% से अधिक शेयर प्रदेश के राज्यपाल के नाम पर हैं और शेष सरकारी निदेशकों के नाम पर। बिजली बोर्ड एक लम्बे अरसे से घाटे में चल रहा है। आज बोर्ड का कर्जभार इसकी कुल संपति से भी बढ़ चुका है। बलिक प्रदेश सरकार ने फरवरी 2004 में वित्तिय स्थिति को सुधारने के लिये भारत सरकार के वित्त मन्त्रालय के expenditure विभाग से जो एमओयू हस्ताक्षरित किया था उसके तहत राज्य विद्युत बोर्ड में भी सुधार के लिये कुछ पग उठाये जाने थे वह आज तक नही उठाये गये हैं। आज विद्युत बोर्ड का प्रभाव सरकार की वित्तिय स्थिति पर पड़ा है।

विद्युत बोर्ड के अपने प्रौजैक्टों में रिपेयर के नाम पर हर साल कई कई महीने उत्पादन बन्द रह रहा है जिससे करोड़ो का नुकसान हो रहा है। इसको लेकर विजिलैन्स के पास एक शिकायत पिछले चार साल से लबित पड़ी हुई है। इस पर सचिव पॉवर ने यह तो विजिलैन्स को जवाब में स्वीकार कर लिया है कि यह गंभीर मामला है लेकिन आगे कोई कारवाई नहीं हुई है। बोर्ड निजि क्षेत्र में चल रहे प्रोजैक्टों से हर वर्ष जितनी बिजली खरीद रहा है उतनी उसकी बिक नही रही है। बिजली बोर्ड से सरकार को प्रदेश को होने वाली आय लगातार हर वर्ष कम होती जा रही है। फिर भी बोर्ड जे.पी. उद्योग और ब्रेकल जैसी कंपनीयां के खिलाफ कोई कारवाई नही कर पा रहा है। क्योंकि ब्रेकल के साथ भी पॉवर परचेज एग्रीमेन्ट तो बोर्ड के साथ ही था। इस तरह से हजारो करोड़ बोर्ड/सरकार के डूब गये हैं। कैग रिपोर्टो में इसको लेकर विशेष उल्लेख दर्ज है।

आज राज्य विद्युत बोर्ड लगातार एक घाटे की ईकाई बनता जा रहा है। इस पब्लिक कंपनी में प्रदेश के आम आदमी का पैसा निवेशित है। अब कंपनी लॉ अधिनियम में हुए संशोधन के बाद इसमें स्वतन्त्र निदेशक नियुक्त हुए हैं। इन निदेशकों से यह अपेक्षा है कि वह घाटे में चल रहे इस संस्थान को इस स्थिति से उबारने के लिये पूरी निष्पक्षता से काम करते हुए इसके प्रबन्धन में सुधार लायेंगे। विजिलैन्स में लंबित पड़ी शिकायतों और कैग में दर्ज टिप्पणीयों का गंभीर संज्ञान लेकर इसको अन्जाम तक पहुंचायेंगे। वैसे तो अभी से यह चर्चा चल पड़ी है कि जब तीनों निदेशक सत्तारूढ़ भाजपा के सदस्य हैं और फिर एक का तो कोई अनुभव विशेषज्ञता ही नही है तो वह सरकार के सामने कितना स्टैण्ड ले पायेंगे क्योंकि बोर्ड में जो कुछ भी आज की स्थिति है उसके लिये कांग्रेस और भाजपा दोनों की ही सरकारें बराबर की भागीदार रही है।

कांग्रेस के आरोपों पर भारी पड़ा महेन्द्र सिंह का खुलासा

शिमला/शैल। बजट सत्र के एक सप्ताह के ब्रेक के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ऊना गये थे। वहां एक आयोजन में उन्होने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक सत्तपाल सत्ती के साथ मंच सांझा करते हुए ऊना की जनता को विश्वास दिलाया कि भले ही सत्ती इस बार चुनाव हार गये हैं लेकिन सरकार में उचित आदर सम्मान प्राप्त रहेगा और उनके क्षेत्र के प्रति आये सुझावों को गंभीरता से लेते हुए उन्हे पूरा अधिकार देगी। स्वभाविक है कि कोई भी मुख्यमन्त्री जहां भी जायेगा और उसे जो भी मिलेगा उसके विचारों, सुझावों को इसी तरह की भाषा में अधिमान देगा। फिर सत्ती तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और उन्हें अधिमान देना सरकार का दायित्व भी है। लेकिन कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के इस कथन को ऊना के चुने हुए विधायक की नज़रअन्दाजी करार देकर सदन में इस विषय पर नियम 67 के तहत चर्चा का प्रस्ताव दे दिया। सदन संचालन के नियमों में यह स्पष्ट उल्लेख है कि स्थगन प्रस्ताव उसी स्थिति में लाये जायें जबकि विषय इतना आक्समिक और गंभीर हो कि उस पर किसी अन्य नियम में चर्चा संभव न हो। फिर बजट सत्र में तो स्थगन प्रस्ताव से बिल्कुल ही परहेज किया जाना चाहिये।

इस परिदृश्य में जब अध्यक्ष ने स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया तब कांग्रेस ने सदन में हंगामा, नारेबाजी करके सदन से वाक्आऊट कर दिया। कांग्रेस का आरोप था कि सरकार जनता द्वारा चुने हुए विधायकों को अधिमान नही दे रही है। कांग्रेस के इस आरोप का सिंचाई एवम् जन स्वास्थ्य मन्त्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने 1997 में उनके साथ घटे व्यवहार का सदन में खुलासा रखते हुए जब ब्यान दिया तो इस ब्यान से न केवल वीरभद्र शासन और स्वयं वीरभद्र की तानाशाही प्रवृति का लेखा जोखा ही सदन के रिकार्ड पर दर्ज हुआ बल्कि आगे के लिये कांग्रेस के हाथ से यह मुद्दा भी निकल गया। 1997 में महेन्द्र सिंह ठाकुर कांग्रेस के विधायक थे और सुखराम खेमे के माने जाते थे। 1993 में जब सरकार का गठन हुआ

था उस समय विधायकों का बहुमत पंडित सुखराम के साथ था। लेकिन वीरभद्र ने उस समय जिस तरह से अपने समर्थकों से विधानसभा का घेराव करवा कर मुख्यमन्त्री की कुर्सी पर कब्जा किया था इसे पूरा प्रदेश जानता है। सुखराम अपने समर्थकों के साथ चण्डीगढ़ ही बैठे रहे और वीरभद्र मुख्यमन्त्री बन गये थे। महेन्द्र सिंह उस समय सुखराम के एक जबरदस्त समर्थक माने जाते थे और इसलिये उन्हे प्रताड़ित करने के लिये वीरभद्र ने पब्लिक के मंच पर ही जो व्यवहार किया था वह खुलासा महेन्द्र सिंह ने इस प्रकार सदन में रखा।

उन्होंने कहा कि 1997 में वह धर्मपुर हलके से कांग्रेस के विधायक थे। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री व वॉकआउट कर गए वीरभद्र सिंह दिसंबर 1997 को उनके हलके में आए। सभा हुई और तब के उद्योग मंत्री रंगीला राम राव को मंच पर बोलने को बुलाया गया। वहीं पर कांगेस के नत्थाराम भी थे। उन्होंने कहा कि तब उन्होंने वीरभद्र सिंह से आग्रह किया कि वह स्थानीय विधायक हैं, उन्हें बोलने दिया जाए। वह स्थानीय समस्याओं को सरकार के समक्ष रखना चाहते हैं। इतना कहने पर वीरभद्र सिंह ने वहां खड़े एसपी को आदेश दिए किए विधायक को गिरफ्तार किया जाए। वहां सादी वर्दी में कई युवक थे। उन्होंने सोचा कि ये युवा कांग्रेस या एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं। लेकिन वह पुलिस के लोग थे।

उन्हें पकड़ा गया और आठ फुट ऊंचे मंच से नीचे फैंका गया। इसके बाद चारों टांगों से बकरे की तरह उठाकर जिप्सी में डाल दिया गया। दो डीएसपी पहले ही जिप्सी के पास थे। वहां पर स्कूली बच्चे व स्थानीय लोग थे। उन्हें पुलिस के लोगों ने लाते मारी। मुख्यमंत्री मंच पर बैठे रहे। वहां बीस किलोमीटर दूर थाना था। उन्हें वहां नहीं ले जाया गया जोगेंद्रनगर के थाने में ले जाया गया और जेल में बंद कर दिया। मुख्यमंत्री का अगले दिन का कार्यक्रम उन्हीं के हलके में मढ़ी में था। लोगों ने पूछा कि हमारा विधायक कहां है। उनकी छोटी बेटी जो उस समय 14 साल की थी व उनकी पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया गया।

बिल्कुल खामोश सदन में महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि रात को 11 बजे दो डीएसपी जेल में आए व बोले कि आपकी जमानत करानी है। आपको मंडी एडीएम के समक्ष पेश करना है। उन्होंने कहा कि एसडीएम भी और मंडी का एडीएम भी एचएएस अधिकारी हैं तो यहीं जमानत करा लीजिए। करीब तीन बजे उन्हें जिप्सी में डाला और जिप्सी डेढ घंटे बाद मंडी से सुंदरनगर की ओर चल पड़ी। पूछने पर पुलिस ने बताया कि उन्हें आदेश है कि जब तक मुख्यमंत्री का प्रवास धर्मपुर का है तब तक महेंद्र सिंह को धर्मपुर से बाहर रखा जाए। उन्होंने कहा कि उन्हें पौने चार बजे गोहर थाने में बंद कर दिया। जब तक वीरभद्र सिंह धर्मपुर में रहे उन्हें अलग-अलग थानों में घुमाया जाता रहा। उन्होंने कहा कि ये वॉकआउट करने वाले सवाल उठाते हैं कि जयराम सरकार विधायक की संस्था को कमतर कर रहे हैं। यह तो बात तक नहीं कर सकते।

उन्होंने कहा कि वह तीस सालों से विधानसभा में लगातार चुनकर आते रहे हैं। लेकिन वाइएएस परमार को छोड़कर उनका अब तक के हरेक मुख्यमंत्री के साथ वास्ता पड़ चुका है। लेकिन जितने मिलनसार व सरल अब के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं इतना कोई नहीं था। उन्होंने वीरभद्र सिंह की ओर ईशारा करते हुए कहा कि जिस तरह से उन्होंने कागज टेबल पर फैंके वह उनकी उम्र के तकाजे के हिसाब से भी शोभनीय नहीं है। महेंद्र सिंह ठाकुर ने इस तरह पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को सीधे निशाने पर ले लिया।